विषय-सूची

क्र. सं.		पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1-2
2.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	3-7
3.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	8-10
4.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन और व्यावसायिकता	11-12
5.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री के अधिग्रहण की नीति	13-14
6.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	15-21
7.	स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए)	22
8.	मजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	23-26
9.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण	27-28
10.	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	29-31
11.	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर)	32-34
12.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)	35
13.	कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम	36
14.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सततता	37
15.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट	38
16.	राजभाषा नीति	39
17.	महिलाओं का कल्याण	40
18.	योजनागत निधि व्यय का विवरण	41
19.	परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)	42
20.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण	43-45
21.	अनुबंध-1	46
22.	अनुबंध-2	47-48
23.	अनुबंध-3	49-50
24.	अनुबंध-4	51
25.	अनुबंध-5	52-55
26.	अनुबंध-6	56-58
27.	अनुबंध-7	59-61
28.	अनुबंध-8	62-64
29.	अनुबंध-9	65-74
30.	अनुबंध-10	75-84
31.	अनुबंध-11	85
32.	अनुबंध-12	86-89
33.	अनुबंध-13	90-92
34.	अनुबंध-14	93
35.	अनुबंध-15	94-95
36.	अनुबंध-16	96-102

प्रस्तावना

लोक उद्यम विभाग

1. अपनी 52 वीं रिपोर्ट में, तीसरी लोक सभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने एक केन्द्रीकृत समन्वय यूनिट के गठन की जरूरत पर बल दिया जो लोक उद्यमों की निष्पादकता का निरन्तर मूल्यांकन भी कर सके। इसके फलस्वरूप, वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की वर्ष 1965 में स्थापना की गई। तदनुपरांत, सितम्बर 1985 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों /विभागों का पुनर्गठन होने पर, बीपीई को उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में, बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इस विभाग का नाम 'लोक उद्यम विभाग' (डीपीई) है। वर्तमान में, यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है।

2. लोक उद्यम विभाग सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का नोडल विभाग है और सीपीएसई से संबंधित नीतियां तैयार करता है। यह विशेष रूप से, सीपीएसई में निष्पादकता के सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है। इसके अलावा ये केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित बहुत से क्षेत्रों से संबंधित सूचना एकत्र करता है और उनका रखरखाव करता है।

3. लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड का गठन दिसम्बर 2004 में, अन्य बातों के साथ-साथ, रुग्ण/हानि उठा रहे सीपीएसई के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विचार करने और उनके बारे में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये किया गया था। डीपीई, बीआरपीएसई को सचिवालयीन सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

4. सरकार के व्यवसाय आबंटन नियमों के अनुसार, डीपीई को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं -

- लोक उद्यम ब्यूरो तथा औद्योगिक प्रबंधन पूल
- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यमों को प्रभावित करने वाले गैर-वित्तीय प्रकृति के सामान्य नीति के मामलों का समन्वयन,
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निष्पादकता को उन्नत करने के लिए समझौता ज्ञापनों और प्रक्रिया से संबंधित मामले,
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए मध्यस्थता स्थायी तंत्र से संबंधित मामले,
- स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के तहत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण देना और पुनर्वास करना।

5. अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, विभाग अन्य मंत्रालयों, सीपीएसई और संबंधित संगठनों से समन्वय करता है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए गए हैं –

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (पीएसई) से संबंधित गैर-वित्तीय प्रकृति के सामान्य नीतिगत मामलों का समन्वयन।

- लोक उद्यम को दिशानिर्देश जारी करना ।

- लोक उद्यम हेतु बोर्ड ढांचा, कार्मिक प्रबंधन, निष्पादकता सुधार, वित्तीय प्रबंधन, पारिश्रमिक निर्धारण और सतर्कता प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में नीतियाँ तैयार करना

- सीपीएसई को महारत्न/नवरत्न/मिनी रत्न का दर्जा प्रदान करना और समीक्षा करना ।

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल के गठन, उच्चस्थ पदों के श्रेणीकरण, सूचीयन से संबंधित नीतिगत मामले ।

- बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्मिकों और यूनियन के कार्मिकों के वेतन-मानों और उस पर आवधिक अंतराल पर मंहगाई भत्ते को अधिसूचित करना ।

- लोक उद्यम में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नीतियां ।

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण जिसे लोक उद्यम सर्वेक्षण कहा जाता है, का प्रकाशन ।

- लोक उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालयों /विभागों के बीच समझौता ज्ञापन ।

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति से संबंधित नीति ।

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नियमित कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुन: प्रशिक्षण और पुन:नियोजन योजना से संबंधित मामले ।

- लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड से संबंधित मामले ।

- लोक उद्यम में कुछ पदों पर कुछ वर्ग विशेष के लोगों के आरक्षण से संबंधित मामले ।

- कर संबंधी मामलों के छोड़कर लोक उद्यमों के बीच तथा लोक उद्यमों एवं सरकारी विभागों के बीच, उठे विवादों का स्थायी मध्यस्थता तंत्र द्वारा निपटान करना ।

- उद्यमों के संवर्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मामले ।

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले ।

- निदेशक मंडल को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मामले ।

6. लोक उद्यम विभाग का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है जिसकी सहायता के लिये 122 अधिकारियों/कर्मचारियों का एक संस्वीकृत स्थापना है। लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा अनुबंध-I पर दिया गया है।

******

अध्याय 1

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) हर वर्ष देश के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईएस) के वित्तीय एवं भौतिक कार्यनिष्पादन से संबंधित व्यापक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है जिसे लोक उद्यम सर्वेक्षण कहते हैं।

1.2 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73 वीं रिपोर्ट (1959-60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष एक अलग समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का सम्पूर्ण मूल्यांकन हो और यह रिपोर्ट उसी सिफारिश के अनुपालन में तैयार की जाती है। तदनुसार, पहली वार्षिक रिपोर्ट (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960-61 में तैयार की गई थी।

1.3 लोक उद्यम सर्वेक्षण में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियों अथवा संसद की विशिष्ट संविधियों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप से स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कम्पनियां और उनकी सहायक कम्पनियाँ ही शामिल हैं, जिनकी चुकता पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है। यद्यपि, इसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक और सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियाँ शामिल नहीं हैं।

1.4 सर्वेक्षण हेतु आधारभूत आंकड़े विभिन्न केन्द्रीय सरकार के उद्यमों से ऑन-लाइन प्राप्त किए जाते हैं जिसका केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की वार्षिक रिपोर्टों के साथ मिलान/विधिमान्यकरण किया जाता है। बाद में इस प्रकार संकलित आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और वार्षिक रिपोर्ट के रुप में दो पृथक खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

1.4.1 **खण्ड-1-**में व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का वृहत् विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यम के प्रमुख क्रियाकलापों तथा विवेच्य वर्ष में की गई प्रगति का पर्यावलोकन किया जाता है। इसमें मूल्य नीति, उत्पादकता, अनुसंधान एवं विकास, अंतरराष्ट्रीय प्रचालन, मानव संसाधन विकास समझौता ज्ञापन तथा कल्याण के उपाय जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाता है।

1.4.2 **खण्ड-2-** में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का क्षेत्रवार समूहों तथा पुन: पृथक- पृथक उद्यमों के निष्पादन का विश्लेषण शामिल किया जाता है। इसमें गत तीन वर्षों के व्यापार कार्य-कलापों, प्रचालन परिदृश्य, प्रमुख वित्तीय उपलब्धियों तथा वास्तविक निष्पादन से संबंधित उद्यम-वार विश्लेषणात्मक आँकड़े होते हैं। इस जानकारी में संक्षिप्त तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा महत्वपूर्ण प्रबंध अनुपात भी शामिल होते हैं।

2012-13 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्यनिष्पादन

1.5 लोक उद्यम सर्वेक्षण (2012-13), जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन से सम्बन्धित 53 वीं रिपोर्ट थी, बजट सत्र के दौरान 20 फरवरी 2014 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था।

1.6 वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

1.6.1 31.3.2013 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 277 केन्द्रीय सरकारी उद्यम थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 277 उद्यमों में से 229 उद्यम प्रचालन में रहे हैं और 48 उद्यमों को अभी प्रचालन प्रारंभ करना है।

1.6.2 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 229 प्रचालनरत उद्यमों में से 149 उद्यमों ने वर्ष 2012-13 के दौरान लाभ दर्शाया है, 79 उद्यमों ने विवेच्य वर्ष के दौरान घाटा उठाया है और एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम ने कोई लाभ/घाटा नहीं दिखाया है।

1.6.3 31.3.1951 तक 5 उद्यमों में संचयी निवेश (चुकता पूँजी तथा दीर्घकालिक ऋण) 29 करोड़ रुपए था जो 31.3.2013 तक बढ़कर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 277 उद्यमों में 850599 करोड़ रुपए हो गया। यद्यपि 2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में 'निवेश' में 16.63% की वृद्धि हुई तथापि इसी अवधि के दौरान 'नियोजित पूंजी' में 13.23% की वृद्धि (तालिका-I) हुई। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अधिकतम निवेश आन्तरिक संसाधनों से अर्थात बजटीय सहायता के बिना किया जा रहा है।

1.6.4 वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभार्जनकारी उद्यमों (149) का 'निवल लाभ' 1,43,559 करोड़ रुपये रहा। विवेच्य वर्ष में घाटा उठाने वाले उद्यमों (79) का 'निवल घाटा' 28,260 करोड़ रुपए रहा ।

1.6.5 वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में निवल लाभ से टर्नओवर/राजस्व, निवल लाभ से निवल मूल्य तथा निवल लाभ से नियोजित पूंजी के संदर्भ में लाभकारिता अनुपातों में वृद्धि दिखायी पड़ती है जबकि डिविडेड पे-आउट में मामूली गिरावट आई है।

1.6.6 वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें अनुबंध-2 में है। 229 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का पिछले वर्षों के कार्यनिष्पादन का वृहद् विवरण अनुबंध -3 में है।

1.6.7 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्ष 2012-13 तथा इसके पूर्व वर्ष 2011-12 का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है :

तालिका-1 : वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**मद / सूचक**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12 में विकास दर**
1.	प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या	225	229	1.78%
2.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (प्रचालनरत) का टर्नओवर	18,22,049	19,45,777	6.79%
3.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (प्रचालनरत) की आय	18,04,614	19,31,149	7.01%
4.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निवेश			
	4.1 कुल चुकता पूंजी	1,63,863	1,85,282	13.07%
	4.2 कुल निवेश (इक्विटी जमा दीर्घकालिक ऋण)	7,29,298	8,50,559	16.63%
	4.3 नियोजित पूंजी (चुकता पूंजी + दीर्घकालिक ऋण तथा रिजर्व एवं अधिशेष)	13,52,970	15,32,007	13.23%
5.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (लाभ में चल रहे) का लाभ	1,25,929 (161)	1,43,559 (149)	14.00%
6.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (घाटे में चल रहे) की हानि	(-)27,683(64)	(-)28,260(79)	2.08%
7.	समग्र निवल लाभ	98,246	1,15,298	17.36%
8.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का रिजर्व तथा अधिशेष	6,23,671	6,81,409	9.26%
9.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का निवल मूल्य	7,76,161	8,51,245	9.67%
10.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का राजस्व में योगदान	1,62,402	1,62,761	0.22%
11.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से विदेशी मुद्रा अर्जन	1,27,880	1,38,150	8.03%
12.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विदेशी मुद्रा का बाह्यगमन	7,33,542	6,46,262	(-)11.90%
13.	45 सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (एम-कैप) का बाजार पूंजीकरण	12,57,792	11,16,817	(-)11.21%

1.7 लोक उद्यम सर्वेक्षण **- 2012-13** के लिए दिनांक **02.04.2014** को सर्वेक्षण आंकड़े प्रयोगकर्ता अनुकूल प्रपत्र में लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर डाल दिये गये थे।

1.8 राज्य स्तर लोक उद्यम (एस एल पी ई)

1.8.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के दौरान योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण की तर्ज पर राज्य सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन पर एक समेकित रिपोर्ट की आवश्यकता महसूस की। योजना आयोग ने तदनुसार लोक उद्यम विभाग से ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, राज्य सरकारी उद्यमों पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2006-07) लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त, 2009 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद एसएलपीई पर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2007-08) हुआ जो माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) द्वारा 16 मई, 2012 को जारी किया गया। द्वितीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण देश भर के विभिन्न एसएलपीई से संकलित डाटा (ऑन लाइन) पर आधारित है ।

1.8.2. वर्ष 2008-09 और 2009-10 को शामिल करते हुए राज्य स्तर लोक उद्यमों संबंधी तीसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण अक्तूबर 2013 के दौरान जारी किया गया था। इस सर्वेक्षण में शामिल 863 राज्य स्तर लोक उद्यमों में से 624 राज्य स्तर लोक उद्यमों ने राज्य स्तर लोक उद्यम संबंधी तीसरे राष्ट्रीय सर्वेक्षण हेतु अपने राज्य स्तर लोक उद्यम के कार्यनिष्पादन के संबंध में सूचना प्रदान की थी।

1.9 राज्य स्तर लोक उद्यमों में कार्यपालकों एवं कर्मचारियों के लिए कौशल विकास/प्रशिक्षण के संबंद्ध में स्कीम

1.9.1. बहु-आयामी अधिदेश और राज्य स्तर लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तथा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में लोक उद्यम विभाग/ब्यूरो के सचिवों की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर यह नई योजना स्कीम 2012-13 में शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य ज्ञान/कौशल में सुधार करने और इस प्रकार उद्यम की समग्र उत्पादकता में सुधार में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर लोक उद्यम के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

1.9.2. इसके संचालन के पहले वर्ष के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमश: भोपाल, दिल्ली, शिमला,बंगलूरू तथा हैदराबाद में आयोजित किए गए। इनमें भाग लेने वालों की संख्या लगभग 230 थी।

1.10 वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए योजना कार्यकलाप

1.10.1. वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय प्रौधोगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों सहित उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थानों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित की गई थी। प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं के आधार पर राज्य स्तर लोक उद्यमों के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों तथा रणनीतिक विचार एवं नेतृत्व और उत्कृष्ट कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

I. **11-15** नवम्बर, **2013,** भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता

II. **11-15** नवम्बर, **2013,** भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ

III. **28-29** नवम्बर, **2013,** परियोजना प्रबंध संस्थान (पी एम आई), दिल्ली

IV. **2-6** दिसम्बर, **2013,** भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता

V. **2-6** दिसम्बर, **2013,** भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ

1.10.2 कुल 96 कार्यपालकों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

1.11 अनुसंधान विकास तथा परामर्श (आर डी सी) से संबंधित स्कीम

1.11.1 लोक उद्यम विभाग की आर डी सी योजना स्कीम के अन्तर्गत सर्वेक्षण प्रभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाएं आयोजित की :

- राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में लोक उद्यमों के सचिवों की स्थायी समिति की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 10 मई, 2013 को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई :
  I. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन प्रणाली का क्रियान्वयन
  II. राज्य स्तर लोक उद्यमों में क्षमता निर्माण के लिए योजना स्कीम प्रचालित करना
  III. राज्य स्तर लोक उद्यम सर्वेक्षण को नीति प्रतिपादन के लिए अधिक उपयोगी बनाना
  IV. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा जारी दिशानिर्देश
  V. 12 वीं पंचवर्षीय योजना एवं राज्य स्तर लोक उद्यम
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा राज्य स्तर लोक उद्यमों से संबंधित सामान्य मुद्दों पर दिनांक 17 मई, 2013 को गोवा में राज्य स्तर लोक उद्यमों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें शामिल थे – राज्य स्तर लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली, कारपोरेट अभिशासन, सी.एस.आर मजूरी वार्ता एवं बी.आर.पी.एस.ई., पूंजी बाजार एवं लोक उद्यम तथा गैर-सरकारी निदेशकों का चयन।

******

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता

सरकार का प्रयास केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित कम्पनियाँ बनाना है। कंपनी के बाहय नियमों के तहत, सरकारी उदयम का निदेशक मंडल बोर्ड स्तर से नीचे कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों में स्वायत्त होते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों के अध्याधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जिनका उल्लेख अग्रवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2.1 महारत्न योजना

2.1.1 सरकार ने 1997 में नवरत्न योजना की शुरूआत की थी जिससे तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति वाले उद्यमों की पहचान की जा सके तथा विश्वस्तरीय स्वरूप धारण कर पाने के अभियान में उनकी सहायता की जा सके। केंद्रीय सरकारी नवरत्न उद्यमों के निदेशक मंडलों को (i)पूंजीगत व्यय (ii)संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश (iii) विलयन व अधिग्रहण (iv) मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.1.2 नवरत्न का दर्जा प्रदान करने संबंधी वर्तमान मानदण्ड आकार-निरपेक्ष है। पिछले वर्षों के दौरान, कुछ नवरत्न कंपनियां बहुत बड़ी बन गईं और अपने समकक्षों की तुलना में कारोबार बहुत अधिक कर लिया। नवरत्न श्रेणी में ऊपरी पायदान पर आने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और जिनमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) बन पाने की क्षमता है उन्हें एक पृथक वर्ग अर्थात महारत्न के रुप में रखा गया है । ऊंचे दर्जे के कारण अन्य नवरत्न कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं उन्हें ब्राण्ड-मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

2.13 महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं अनुबंध -4 पर है।

2.1.4 वर्तमान में सात महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं - (i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (ii) कोल इण्डिया लिमिटेड (iii) गेल (इण्डिया) लि. (iv) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (v) एन.टी.पी.सी. लि. (vi) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि. तथा (vii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.। महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का पुनरीक्षण वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया।

2.2 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.2.1 इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने उन उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं जो तुलनात्मक रूप से अनुकूल हैं, विश्व स्तरीय स्वरूप धारण कर पाने में सक्षम हैं। वर्तमान में 14 नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं, जो निम्नलिखित हैं :-

(i) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.
(ii) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
(iii) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
(iv) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
(v) महानगर टेलीफोन निगम लि.
(vi) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि
(vii) नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड.
(viii) एन. एम. डी. सी. लि.
(ix) आयॅल इण्डिया लि.
(x) पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि.
(xi) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
(xii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
(xiii) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.
(xiv) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

2.2.2 अर्हता शर्तें, नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों को प्रत्यायोजित शक्तियों तथा प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों के प्रयोग करने की शर्तें/दिशानिर्देश **अनुबंध-5** में है।

2.2.3 वर्ष 2013-14 के दौरान अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लि., भारतीय कंटेनर निगम लि. तथा एन बी सी सी लि. को नवरत्न दर्जा प्रदान किए जाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

2.2.4 अंतर-मंत्रालयी समिति और शीर्षस्थ समिति 15 नवम्बर 2014 के विस्तारित लक्ष्य के साथ सूचीबद्ध रहने तक राष्ट्रीय इस्पात निगत लि.का नवरत्न दर्जा कायम रखने के इस्पात मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार कर उसे अनुमोदित किया था और वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. का नवरत्न दर्जा 15 नवम्बर 2014 तक कायम रहने के आदेश जारी किए गए थे।

2.3 मिनीरत्न योजना

2.3.1 अक्तूबर, 1997 में, सरकार ने यह निर्णय भी किया था कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कम्पनियों को कतिपय पात्रता शर्तों के अध्याधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तिय शक्तियॉं प्रत्यायोजित की जाएँ ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कम्पनियों को मिनीरत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियॉं हैं, श्रेणी-। तथा श्रेणी-।।

2.3.2 मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध-6** पर है।

2.3.3 वर्तमान में 72 मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम (श्रेणी -। के 54 तथा श्रेणी-।। के 18) हैं। इन 72 मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची-अनुबंध -7 पर है।

2.4 लाभ अर्जित करने वाले अन्य केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.4.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने पूर्ववर्ती 3 लेखा वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया हो और जिनकी निवल मूल्य घनात्मक हो, उन्हें ''अन्य लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यम'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

(i) **पूंजीगत व्यय:-** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को सरकार के अनुमोदन के बिना 150 करोड़ रूपए अथवा अपने निवल मूल्य के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, पूँजीगत व्यय करने का अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रत्यायोजन निम्नलिखित के अध्याधीन है:-

(क) प्रासंगिक परियोजना को अनुमोदित पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में शामिल करना और उसके व्यय के लिए प्रावधान करना।

(ख) अपेक्षित राशि की व्यवस्था कम्पनी के आंतरिक संसाधनों तथा बजटेत्तर साधनों से की जा सके और धनराशि सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत बजट में शामिल स्कीम पर ही खर्च की जाए।

(ii) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे:-** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपातस्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिवसीय व्यापारिक विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठी इत्यादि को छोड़कर) का अनुमोदन करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्य कार्यपालक के मामले सहित अन्य सभी मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

******

अध्याय 3

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन और व्यावसायिकता

3.1 कारपोरेट अभिशासन – पृष्ठभूमि

3.1.1 कॉरपोरेट क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों के दौरान कारपोरेट अभिशासन की अवधारणा ने समूचे विश्व में तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी वाद-विवाद को जन्म दिया है। कॉरपोरेट अभिशासन में शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, विनियामक प्राधिकरणों तथा समुदाय के सन्दर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कॉरपोरेट निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य भाषा में इसका अर्थ सभी हितधारकों के संबंध में कारपोरेट आचरण से है चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य। कॉरपोरेट अभिशासन का निहितार्थ प्रबन्धन प्रणाली की पारदर्शिता है और इसमें कम्पनी के कार्यचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण यांत्रिकी शामिल हैं। यह एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करता है जिसके द्वारा शेयरहोल्डरों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के बीच नियंत्रण एवं संतुलन की एक पद्धति तैयार करने के प्रयास के अलावा कॉर्पोरेट सत्ताओं को निदेशित एवं नियंत्रित किया जाता है।

3.1.2 पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हितधारकों के विश्वास में वृद्धि करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों जहां बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश होता है, के संदर्भ में अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रक्रियायों को अपनाने एवं लागू करने की निरन्तर जरूरत है, यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों को जारी रखा जाए तथा समुचित अन्तर-मंत्रालयी परामर्श के बाद सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा मार्च 2010 में अनुमोदित कर दिया गया था।

3.1.3 इन दिशानिर्देशों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल का संघटन, लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, सहायक कम्पनियां, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबन्धन तथा रिपोर्टिंग शामिल हैं। एक वर्ष के प्रायोगिक चरण में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया और इनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा पारिश्रमिक समितिके गठन से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रावधानों को इनमें शामिल किया गया है। चूंकि कारपोरेट की अवधारणा गत्यात्मक प्रकृति की है, अत: यह भी प्रावधान किया गया है कि इन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा ताकि इन्हें समय-समय पर प्रचलित कानूनों विनियमों , अधिनियमों, आदि के अनुरूप बनाया जा सके।

3.1.4 **इन दिशानिर्देश की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-8 पर है ।**

3.1.5 वर्ष 2013 के दौरान लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा ग्रेडिंग रिपोर्ट अनुबंध-9 पर है। 260 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 112 को उत्कृष्ट, 25 को बहुत अच्छा,14 को अच्छा, 8 को औसत तथा 3 को खराब श्रेणी दी गई है। उत्कृष्ट तथा बहुत अच्छा श्रेणियों में आने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है।

3.1.6 गैर-सरकारी निदेशक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों के आवश्यक भाग होते हैं। नए कम्पनी अधिनियम में भी इस पर जोर दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 113 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के 230 पदों को भरने पर विचार किया गया तथा संबंधित मंत्रालयों / विभागों उपयुक्त सिफारिशें भेज दी गई।

3.2 प्रशिक्षण एवं कार्यशाला

3.2.1 लोक उद्यम विभाग ने चार्टर्ड एकाउण्टैट्स आफ इंडिया (आई सी ए आई) के सहयोग से गैर-सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए 4 कार्यशालाओं - दिनांक 28 अक्टूबर 2013 (नई दिल्ली), 24 जनवरी 2014 (बंगलूरू), 27 जनवरी 2014 (मुम्बई) तथा 26 फरवरी 2014 (नई दिल्ली) का आयोजन किया। इसके अलावा, अन्तरराष्ट्रीय प्रबंध संस्थान (आई एम आई) ने लोक उद्यम विभाग के सहयोग से दिनांक 27 से 29 जून 2013 तक बंगलूरू में द्वितीय निदेशक सम्मेलन तथा ग्रेटर नोएडा में दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2013 तृतीय निदेशक सम्मेलन का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में लगभग 110 गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल किया गया।

3.3 कार्यकारी निदेशक

3.3.1 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके पदेन क्षमता में की जाती है तथा उनके चयन का अधिकार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के पास होता है।

******

अध्याय – 4

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री के अधिग्रहण की नीति

4.1 विकास के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता एक पूर्वापेक्षा है। इसका रणनीतिक संदर्भ भी है क्योंकि कुछ देशों ने विश्व स्तर पर कच्ची सामग्री के स्रोतों के अधिग्रहण की दिशा में पहल कर दी है। वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में पूंजीनिवेश या तो निदेशक मण्डल को प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत या सचिवों की शक्तिप्राप्त समिति (ईसीएस) की प्रणाली के माध्यम से सीसीईए के अनुमोदन से किया जाता है। वर्तमान प्रणाली में निर्णय में विलम्ब, समन्वित एवं अन्तर-क्षेत्रीय पहुंच का अभाव तथा सरकार द्वारा वित्तपोषण की व्यवस्था न होने जैसी खामियाँ विद्यमान हैं।

4.2 नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पीटीटिवनेस काउन्सिल (एनएमसीसी) की अनुशंसाओं के आधार पर, अंतर-मंत्रालयी परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग द्वारा अक्तूबर, 2011 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित नीति अधिसूचित कर दिया है।

4.3 इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

- यह नीति कृषि, खनन, विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्र के उन सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लागू है जिन्होंने तीन वर्षों में निवल लाभ अर्जित करना दर्ज किया हो।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यम प्रस्ताव पर विचार करेंगे, अन्य उचित मूल्यांकन कार्य करेंगे तथा पारदर्शी ढंग से निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- महारत्न तथा नवरत्न श्रेणी के उद्यमों के निदेशक मण्डलों को बढ़ाई गई शक्तियों का सिर्फ विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपत्ति के अधिग्रहण हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समन्वयक समिति (सीसीओएस) का गठन किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव सचिवों की समन्वयक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जिन प्रस्तावों के संबंध में (i) प्रशासनिक मंत्रालय/केन्द्रीय सरकारी उद्यम समन्वित दृष्टिकोण का अनुरोध करें और (ii) सरकारी कोष अन्तर्ग्रस्त हों।
- सीसीओएस शीघ्र व समन्वित निर्णय के सरलीकरण, विदेशी उद्यमों/सरकार को रियायती ऋण प्रदान करने में सहयोग करने, सरकारी वित्त को अनुशंसा करने तथा प्रत्येक मामले के आधार पर सरकारी वित्त के स्वरुप के संबंध में निर्णय करने का कार्य करेगी।
- सीसीओएस को लोक उद्यम विभाग द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएगी तथा लोक उद्यम विभाग में एक पृथक कक्ष का गठन किया जाएगा। इस कक्ष के संचालन हेतु अतिरिक्त कार्मिकों, स्थान तथा अन्य आवश्यक

उपस्करों की खरीद के लिए लोक उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है। लोक उद्यम विभाग को ₹ 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा।

- केन्द्रीय सरकारी उद्यम/मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और यह विभाग सचिवों की समन्वयक समिति की बैठक का आयोजन करेगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यम/मंत्रालय एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे।
- सीसीओएस की अनुशंसाएं लोक उद्यम विभाग द्वारा सीसीईए को प्रस्तुत की जाएंगी।
- वर्तमान सचिवों की शक्तिप्राप्त समिति प्रक्रिया कार्य करती रहेगी। जिन मंत्रालयों में वर्तमान में ईसीएस नहीं है उनमें उपयुक्त ईसीएस प्रणाली स्थापित करने हेतु उन्हें अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।
- विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित इसके मिशनों को प्रक्रिया के प्रारंभ से ही संबद्ध किया जाएगा।
- सरकार यथासमय एक समर्पित, संप्रभु संपदा कोष के गठन पर विचार करेगी।

4.4 लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है –

(i) अनुमोदित नीति का सभी पणधारकों को परिचालन।

(ii) विदेश मंत्रालय और उसकी परामर्श समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को विदेश मंत्रालय से परामर्श करने के बाद विदेश में मिशनों को भेजना।

(iii) मंत्रिमंडल सचिवालय की स्वीकृति के बाद सचिवों की समन्वय समिति का गठन करना।

(iv) पृथक कोष्ठ के लिए कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करना और आवेदन आमंत्रित करने व चयन साक्षात्कार के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देना।

******

अध्याय – 5

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

समझौता ज्ञापन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन और भारत सरकार के बीच परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर किया गया एक अनुबंध है। इस अनुबंध के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यम वर्ष के शुरू में अनुबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं और वर्ष के अंत में अपनी उपलब्धियों के आधार पर आकलन प्रस्तुत करते है।

5.2 भारत में समझौता ज्ञापन प्रणाली की उत्पत्ति

5.2.1 भारत सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत वर्ष 1986 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित नीति की समीक्षा के लिए गठित अर्जुन सेन गुप्ता समिति (1984) की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय सरकारी उद्यम अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ 5 वर्षों के लिए समझौता करे जबकि समीक्षा वार्षिक की जाएगी। वर्ष 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में समझौता ज्ञापन प्रणाली पर काफी जोर दिया गया था। उक्त नीतिगत वक्तव्य के परिपेक्ष्य में इस प्रणाली में समय के साथ-साथ अधिकाधिक उद्यमों को शामिल किया गया है।

वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	2007-08	144
1991-92	72	2008-09	147
2001-02	104	2009-10	197
2002-03	100	2010-11	198
2003-04	96	2011-12	197
2004-05	99	2012-13	196
2005-06	102	2013-14	197
2006-07	113	2014-15	199

5.2.2 समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में एनसीएईआर का अध्ययन तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन

लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2003 में नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लाईड इकॉनोमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) को निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी मानदण्डों के चयन तथा विभिन्न प्राचलों को भारांक के आवंटन पर नए सिरे से विचार करने के लिए अध्ययन करने का कार्य सौंपा। हालाँकि पूर्ववर्ती प्रणाली में 'वित्तीय' प्राचलों को 60% तथा गैर-वित्तीय प्राचलों को 40% भारांक दिया जाता था, परन्तु एन सी ए ई आर ने 'वित्तीय' तथा 'गैर-वित्तीय' दोनों प्राचलों को समान भारांक (50%) प्रदान करने की अनुशंसा की। इस मामले में यह निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी 'संतुलित अंक कार्ड' उपागम के सदृश हैं। गैर-वित्तीय प्राचलों को पुन: 'गत्यात्मक प्राचल' 'उद्यम-सापेक्ष प्राचल' तथा 'क्षेत्र सापेक्ष' प्राचल में उप-विभाजित किया गया है। बाद में, सरकार ने एन सी ई ए आर की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा निष्पादन लक्ष्यों के निर्धारण से सम्बन्धित नई क्रियाविधि वित्तीय वर्ष 2004-05 से लागू हो गई।

5.2.3 **समझौता ज्ञापन प्रणाली के उद्देश्य** : समझौता ज्ञापन प्रणालीके विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार से है:

I. प्रबंधन स्वयत्ता में वृद्धि करके केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना

II. लक्ष्यों और उद्देश्यों में शंकाओं को दूर करना

III. उद्देश्य मानकों के माध्यम से प्रबंधन निष्पादन का आकलन और

IV. सुदृढ़ भावी कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना।

V.2.4 समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रबन्ध - समझौता ज्ञापन उच्चाधिकार प्राप्त समिति

समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति सचिवों की समिति है जिसे शीर्ष समिति के रूप में गठित किया गया है जिसका कार्य हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन में की गई वचनबद्धताओं के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन का और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा समझौता ज्ञापन में यथाप्रतिबद्ध आवश्यक सहायता की सीमा का भी मूल्यांकन करना है।उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा की जाती है। इनमें वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (योजना आयोग), सचिव (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्यविभाग शामिल है, अध्यक्ष, प्रशुल्क आयोग, सचिव, निष्पादन प्रबन्ध शामिल है । समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार समिति समय-समय पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु सिद्धान्तों और मानकों के निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश देती है।

5.3 समझौता ज्ञापन सम्बन्धी कार्य दल

5.3.1 सचिवों की समिति ने 26 दिसम्बर, 1988 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्राचलों तथा भारांकों के निर्धारण के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाए। कार्यदल, समझौता ज्ञापन फार्मेट, मानकों और परस्पर भारांक निर्धारण के लिए लोक उद्यम विभाग और समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की भी सहायता करता है। इस कार्यदल को पुन: विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है जिन्हें सिन्डिकेट कहा जाता है और प्रत्येक सिन्डिकेट को किसी खास क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित कार्य सौपें गए हैं।

5.3.2 वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन के लिए कार्यदल को अधिक तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ-साथ विविध व समृद्ध अनुभव का लाभ प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को कुल 13 सिन्डिकेटों में विभाजित किया गया था; जो निम्नलिखित हैं:-

1. कृषि, उर्वरक, रसायन एवं भेषज
2. इस्पात तथा अन्य खनिज
3. कच्चा तेल, गैस एवं पेट्रोलियम
4. इंजीनियरी, परिवहन उपस्कर तथा उपभोक्ता वस्तुएं - I
5. इंजीनियरी, परिवहन उपस्कर तथा उपभोक्ता वस्तुएं - II
6. इंजीनियरी, परिवहन उपस्कर तथा उपभोक्ता वस्तुएं - III
7. ऊर्जा, विद्युत उत्पादन तथा पारेषण
8. व्यापार व विपणन
9. संविदा व परामर्शी सेवाएं
10. परिवहन व पर्यटन - I
11. परिवहन व पर्यटन -II
12. इलैक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी
13. धारा 25 सीपीएसयू तथा वित्तीय सेवाएं

5.3.3 **पी आर पी के साथ संबंध** : समझौता ज्ञापन निष्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान का एक आधारभूत मानदण्ड होगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने मूल मंत्रालयों/विभागों/धारक कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया गया है ताकि उन्हें कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान/परिवर्तनशील वेतन का पात्र बनाया जा सके। समझौता ज्ञापन में प्रमुख परिणाम वाले सभी निर्धारित क्षेत्रों के साथ-साथ समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित श्रेणी पीआरपी का आधार भी होगी। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम "उत्कृष्ट" श्रेणी प्राप्त करता है तो वह 100% पीआरपी का भुगतान करने का पात्र होगा। समझौता ज्ञापन के संदर्भ में "अति उत्तम" "उत्तम" तथा "संतोषजनक" श्रेणी प्राप्त करने वाले उद्यम क्रमश: 80%, 60% तथा 40%

पीआरपी का भुगतान करने के पात्र होंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को समझौता ज्ञापन के संदर्भ में "खराब" मापा जाता है तो वह उद्यम पीआरपी के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा चाहे उसकी लाभकारिता की स्थिति कुछ भी क्यों न हो।

5.3.4 **प्रयोज्यता** : सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को (धारक तथा सहायक कंपनियां), बिना अपवाद के, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है। जबकि शीर्ष/धारक कंपनियां अपने प्रशासनिक मंत्रलयों/विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगी, सहायक कंपनियां अपने संबंधित शीर्ष/धारक कंपनियों के साथ उसी समझौता ज्ञापन के अनुसार हस्ताक्षर करेंगी जो केन्द्रीय सरकारी उद्यम और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

5.3.5 **समझौता ज्ञापन से छूट** : उन लोक उद्यम विभागों के बारे में, जो बंद हो गये/कार्य नहीं कर रहे, विलय हो गया, परिसमाप्त हो गये, शैल कंपनियां हैं या रूग्ण हैं और किसी पुनरूद्धार पैकेज की संभावना के बिना बंद या विलय होने वाले हैं, प्रशासनिक मंत्रालय, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट की अनुमति के लिये प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग को अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेगा ।

5.3.6 **लक्ष्यों का पुनरीक्षण समझौता ज्ञापन एक बार हस्ताक्षरित होने के बाद:** लक्ष्यों में संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। समझौता ज्ञापन लक्ष्य शर्त रहित और गैर-अनन्तिम होते हैं। हालांकि, समझौता ज्ञापन की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के दौरान, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नियंत्रण से बाहर घटनाओं (अप्रत्याशित घटनाएं), डीपीई/कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर प्रतिकर अनुमति की शक्ति समझौता ज्ञापन की उच्चाधिकार समिति के पास ही रहेगी।

5.3.7 **समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश 2014-15** : प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से प्राप्त सुझावों और कार्यबल के अध्यक्षता में कार्य समुह और बाह्य अध्धयन/आकलन की सिफारिशों विचार करके लोक उद्यम विभाग ने समझौता ज्ञापन 2014-15 दिशानिदेशों में महत्वपर्ण परिवर्तन किए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने प्रचालनों के लिए अधिक उचित मानकों के चयन के लिए अधिक लचीलापन दिया गया है। रूग्ण और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम , निर्माणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यम और धारा -25 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को छोड़कर सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए एक समान फार्मेट तैयार किया गया है। समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में परियोजना क्रियान्वयन और कैपक्स को अधिक भारांक देने पर जोर दिया गया है। दिशानिदेशों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से है:-

(1) **लक्ष्य निर्धारण के सिद्धान्त**:- समझौता ज्ञापन में लक्ष्य यथार्थ होने चाहिए, फिर भी वृद्धि उन्मुख और प्रोत्साहन कारक हों और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की प्रस्तावित वार्षिक योजना, बजट और कारपोरेट योजना और मंत्रालय/विभाग के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) के अनुरूप हों। इन्हें योजना दस्तावेज या वार्षिक योजना विचार विमर्श के दौरान दर्शाए गए लक्ष्यों / उद्देश्यों और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आवंटन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। वैधानिक या विनियामक निकायों के यथा लागू निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लक्ष्य उपलब्ध और अनुमानित परिस्थितियों में अधिकाधिक प्राप्य होने चाहिए। आई पी ओ/एफ. पी. ओ दस्तावेजों में भावी निवेशकों को दी गई वित्तीय सूचना और शेयरधारिता के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(2) **वास्तविक लक्ष्य**: वित्तीय कार्य निष्पादन के साथ-साथ परिमेय वास्तविक लक्ष्यों जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की उत्पादकता और कुशलता दर्शाते है, को भी समझौता ज्ञापन में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा मानकों के रूप में लिया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में कैपक्स और परियोजना कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।

(3) **गैर वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण** : 2014-15 के लिए कोई अनिवार्य गैर वित्तीय मापदंड नहीं है। गैर वित्तीय मापदंडों कारपोरेट में सामाजिक दायित्व और सततता (सीएसआर), अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रगति हेतु पहले, परियोजना प्रबंधन और क्रियान्वयन, उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीनतम अभ्यास, मानव संसाधन प्रबंधन और सेक्टर विशेष पैरामीटर/एंटरप्राइज विशेष मानक शामिल है।

(4) **समूह लक्ष्य** : कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की निष्पादकता अन्तर-निर्भर होती है क्योंकि उनके कार्य विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा किये जाते है। इन परिस्थितियों में, संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए ताकि वे संयुक्त रूप से और पृथक तौर से अपनी निष्पादकता और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उत्तरदायी हों।

(5) **अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)** : गैर वित्तीय मानक ''अनुसंधान एवं विकास'' को आर एंड डी परियोजनाओं को करने के इच्छुक केन्द्रीय सरकारी उद्यम इसे शामिल कर सकते है। आर एंड डी का अभिप्राय मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान (यद्यपि इसे छोड़ा नहीं किया गया है) से नहीं है । इसे नवीनीकरण, रूपांतरण और उपलब्ध एवं नवीन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के माध्यम से विनिर्माण, प्रोसेसिंग, उत्पाद

विकास पैकेजिंग, विपणन और कार्य प्रणालियों सहित सभी कार्यों में प्रचालनात्मक कुशलता में सुधार से जोड़ा जाना चाहिए।

(6) **वचनबद्धता और सरकार से सहायता:** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन की गई वचनबद्धताओं और प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की दी गई वास्तविक सहायता के संदर्भ में किया जाता है। इसकी मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की कार्य निष्पादन स्कोर शीट सहित रिपोर्ट भी प्रशासनिक मंत्रालय / विभागों द्वारा लोक उद्यम विभाग को भेजी जानी चाहिए जिसकी समीक्षा उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी। सरकार की वचन बद्धताएं / सहायता सहमत किए गए कार्य निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के संदर्भ से संबंधित होनी चाहिए। समझौता ज्ञापन दस्तावेज में वचनबद्धताओं/आश्वासनों को उचित ढ़ंग से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के आर एफ डी में शामिल किया जाना चाहिए।

(7) **नकारात्मक अंकन**: कारपोरेट अभिशासन के दिशानिदेशों और लोक उद्यम विभाग के अन्य दिशानिदेशों का अनुपालन करने के मामले में नकारात्मक अंकन का प्रावधान है।

5.4 समझौता ज्ञापन आकलन

5.4.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यम के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समझौता ज्ञापन लक्ष्यों तथा उसकी वास्तविक प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (धारक और सहायक) से अपेक्षित होता है कि वे अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से लेखा परीक्षित आंकड़ों आदि के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन सहित निर्धारित तिथि 31 अगस्त के अंदर लोक उद्यम विभाग और सिण्डीकेट ग्रुप के कार्यबल को प्रस्तुत करें। पिछले 3 वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन का विवरण निम्न प्रकार से है:-

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित	198	197	196	197
प्रस्तुत आकलन रिपोर्टें	161	175	189 + 1 *	31.8.2014 से देय

* अनंतिम

5.4.2 पिछले 9 वर्षों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई समझौता ज्ञापन रेटिंग की तुलना निम्न प्रकार से है:-

रेटिंग	वर्षों के दौरान प्रत्येक रेटिंग के तहत लोक उद्यमों की संख्या								
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उत्कृष्ट	45	49	46	55	47	73	67	76	75
बहुत अच्छा	31	32	37	34	34	31	44	39	39
अच्छा	12	15	13	15	25	20	24	33	37+1*
औसत	10	06	06	08	17	20	24	25	36
खराब	01	00	00	00	01	01	02	02	02
कुल	99	102	102	112	124	145	161	175	189+1*

* अनंतिम

5.5 समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट पुरस्कार का निर्धारण

5.5.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यम समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पूरूस्कार के रूप में गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन के पात्र है।

समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट पुरस्कारों की कुल संख्या 12 है (दस सिंडिकेट समूह में प्रत्येक से एक, सूचीबद्ध उत्तम सीपीएसई से एक, रूग्ण तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों जिसका टर्नअराउंड होने वाला है में एक)। अन्य सभी उत्कृष्ट निष्पादन करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

5.5.2 सिंडिकेट समूह से समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों के चयन के लिए अपनाए जाने वाले 3 मूल सिद्धांत इस प्रकार से हैं :

I. वर्ष में केंद्रीय सरकारी उद्यम का लाभ गत वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए।
II. यह घाटा उठाने वाला उद्यम नहीं होना चाहिए।
III. केंद्रीय सरकारी उद्यम का संयुक्तांक 1.5 (उत्कृष्ट रेटिंग) से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.5.3 यह पुरस्कार उस केन्द्रीय सरकारी उद्यम को दिया जाता है जो समझौता ज्ञापन में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन दर्शाते है और जिनका संबंधित सिंडिकेट ग्रुप में समझौता ज्ञापन न्यूनतम सम्मिलित स्कोर होता है। उस स्थिति में जब एक सिंडिकेट ग्रुप में दो या अधिक केन्द्रीय सरकारी उद्यम समान समझौता ज्ञापन सम्मिलित स्कोर प्राप्त करते हैं तो पूर्व वर्ष में निवल लाभ की सर्वोच्च विकास दर रिकार्ड करने वाला केन्द्रीय सरकारी उद्यम इस पुरस्कार के लिए पात्र होता है।

5.5.4 सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी के लिए यह शर्त है कि बाजार पूंजीकरण में प्रगति प्रतिशत बाम्बे स्टाक एक्सचेंज के सैंसैक्स में प्रगति प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। बाजार पूंजीकरण में उच्चतम प्रगति प्रतिशत वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम इस पुरस्कार के पात्र होगे।

5.5.5 रूग्ण और घाटा उठाने वाले उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों जो टर्न अराउंड के पथ पर है, के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु यह शर्तें है कि उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने समझौता ज्ञापन के विचाराधीन वर्ष तथा इसके तत्काल पूर्व वित्त वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ अर्जित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि टर्न अराउंड का दृढ़ आधार है। वे केन्द्रीय सरकारी उद्यम जिनका न्यूनतम सम्मिलित स्कोर है वे उत्कृष्टता पुरस्कार के पात्र है।

******

अध्याय 6

स्थायी मध्यस्थता तंत्र(पीएमए)

6.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन वर्ष 1989 में ओएनजीसी बनाम समाहर्त्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.3.1989 और 30.6.1993 के कार्यालय ज्ञापन के तहत दिशानिदेशों के अनुपालन में किसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम और केंद्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों/बैंकों/पत्तनों (कर मामलों और रेल मंत्रालय के मामलों को छोड़कर) के बीच तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पारस्परिक वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए किया गया है।

6.2 पीएमए दिशा-निर्देशों को पिछली बार वर्ष 12.03.2014 में संशोधित किया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग(डीपीई) को सौंपना अपेक्षित होता है ताकि वह निपटान हेतु स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को नामित कर सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को नामित करते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन पक्षकार अपने पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं।

6.3 मध्यस्थ सम्बद्ध पक्षकारों को मामले के तथ्य और उनके दावे तथा प्रतिदावे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करता है। पक्षकार उनके समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। लिखित रिकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थ एक अधिनिर्णय देता है। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है तो मध्यस्थ के अधिनिर्णय के विरूद्ध या समीक्षा हेतु सचिव, विधि मंत्रालय को अपील की जा सकती है। सचिव, विधि मंत्रालय का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी है। सचिव (विधि) के निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय/अधिकरण में अपील नहीं की जा सकती है।

6.4 पीएमए की स्थापना स्व-समर्थित आधार पर की गई है और विवादग्रस्त पक्षकार मध्यस्थता शुल्क (भुगतान डीडीओ, डीपीई के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाता है) का समान रूप से वहन करते हैं जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान मध्यस्थता शुल्क के रूप में पक्षकारों से 196.08 लाख रूपए एकत्र किए गए।

6.5 इसके आरम्भ और 31.3.2014 के अंत तक पी एम ए के मध्यस्थ को 400 मामलें संदर्भित किए गए थे जिसमें से 346 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं जबकि 22 मामले अवसान किए गए।

6.6 वर्ष 2013-14 के आरम्भ में 74 पुराने मामले थे और वर्ष के दौरान 8 नए मामले संदर्भित किए गए जिससे कुल 82 मामले हो गए। 51 मामलों पर निर्णय लिया गया था और 1 मामला अवसान किया गया इस प्रकार शेष 30 मामले बच गए।

6.7 लोक उद्यम विभाग समय-समय पर मध्यस्थ के निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

******

अध्याय 7

मजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

7.1 लोक उद्यम विभाग अन्य कार्यों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में संगठित कर्मचारियों की मजूरी और निदेशक मण्डल स्तर और उससे निचले स्तर के पद धारण करने वाले असंघबद्ध पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के वेतन में संशोधन करने की नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की वेतन नीति और कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन से सम्बन्धित मामलों में सलाह प्रदान करता है। अधिकांश रूप से केन्द्रीय सरकारी उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति के वेतनमानों का अनुसरण कर रहे हैं। कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पद्धति और वेतनमानों का भी अनुसरण किया जाता है। लोक उद्यम विभाग आई डी ए पद्धति के कर्मचारियों संबंधी तिमाही आधार पर महंगाई भत्ता आदेश भी जारी करता है। सीडीए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आदेश छमाही आधार पर जारी किए जाते हैं।

7.2 औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए)

7.2.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए वेतनमान और वेतन पैटर्न के सम्बन्ध में सरकारी नीति है कि संगत वेतनमान आईडीए पैटर्न पर होने चाहिएं। लोक उद्यम विभाग ने जुलाई, 1981 तथा जुलाई 1984 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी कर दिए थे कि जब भी कोई नया केन्द्रीय सरकारी उद्यम सृजित अथवा स्थापित हो तो उसमें शुरू से ही आईडीए पैटर्न और संबंधित वेतन मानों को अपनाना चाहिए। डीपीई के का.ज्ञा. दिनांक 12.06.1990 के समान, डीपीई ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 10.8.2009 के अन्तर्गत यह दोहराया है और इस बात पर बल दिया कि 01.01.1989 को या उसके बाद सीडीए वेतनमान की "पदोन्नति" सहित की गई "नियुक्तियां" आईडीए वेतनमान में होनी चाहिए। 31.03.2013 तक केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 277 उद्यम (बीमा कंपनियों तथा नवगठित केंद्रीय सरकारी उद्यमों, बैंकों) थे। उन्होंने लगभग 14.04 लाख कामगारों/लिपिकीय कर्मचारियों तथा कार्यपालकों को नियुक्त किया हुआ है। अधिकतर कामगार और कार्यपालक आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों में है। कुछ शेष कर्मचारी सीडीए वेतन पैटर्न आदि पर हैं।

7.3 द्वितीय वेतन संशोधन समिति

7.3.1 सरकार ने 01.01.2007 से औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति पर वेतनमानों को अपनाने वाले बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के असंघबद्ध पर्यवेक्षक

शामिल हैं, के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में द्वितीय वेतन संशोधन समिति और गृहमंत्री (चिदांम्बरम समिति) की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा समुचित रूप से विचार किए जाने के बाद 26.11.2008 तथा 09.02.2009 और 2.4.2009 को आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों की प्रमुख विशेषताओं का नीचे उल्लेख किया गया है।

(i) सीपीएसई में ई-0 ग्रेड हेतु 12,600 – 32,500 से 80,000-1,25,000 रुपए तक अनुसूची 'क' सीपीएसई के मुख्य कार्यपालकों के लिए वेतनमान।

(ii) 01.01.2007 को मूलवेतन पर 30% की दर से एक समान फिटमेंट लाभ + 78.2% की दर पर मंहगाई भत्ता।

(iii) वेतनवृद्धि की दर मूल वेतन के 3% वर्ष की दर पर।

(iv) मूलवेतन का अधिकतम 50% अनुलाभ तथा भत्ते जिसमें 'केफ्टेरिया एप्रोच' की व्यवस्था है।

(v) मूल वेतन का 40% से 200% तक कार्यनिष्पादन से सम्बन्धित वेतन (पी आर पी)

(vi) मूल वेतन का 30% तक अधिवर्षिता लाभ और मंहगाई भत्ता

(vii) कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के सम्बन्ध में 01.01.2007 से उपदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है।

(viii) वेतन संशोधन का कार्यान्वयन सीपीएसई की वहनीयता से जुड़ा है। सीपीएसई को वेतन संशोधन का वित्तपोषण अपने संसाधनों से करना होगा और इस प्रयोजन के लिए कोई बजट सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(ix) द्वितीय वेतन संशोधन समिति की संस्तुतियों पर सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उठने वाले विशिष्ट मुद्दों/समस्या पर और आगे विचार करने के लिए एक विसंगति समिति का गठन किया गया है जिसमें लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव होते हैं।

(x) बढ़े हुए भत्तें राष्ट्रपतिक निदेश जारी किए जाने की दिनांक की बजाए 26.11.2008 से लागू होगें बशर्ते राष्ट्रपतिक निदेश 02.04.2009 से एक माह के भीतर जारी किए गए हैं।

(xi) वेतन संशोधन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जब भी अपेक्षित हो लोक उद्यम विभाग आवश्यक अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी करेगा।

7.4 विसंगति समिति की सिफारिश

7.4.1 लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के तहत विसंगति समिति गठित की गई थी। विसंगति समिति ने कुछ मामलों पर विचार किया है और तदनुसार लोक उद्यम विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इन मामलों में (i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में तदर्थ आधार पर सरकारी अधिकारियों का वेतन (ii) स्वयं पट्टा आवास

(iii) चिकित्सा व्यय (iv) अवकाश के बदले रोकड़ (v) वार्षिक वृद्धि के बंचिंग का लाभ आदि मामले शामिल हैं। (vi) निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों के कुछ मामलों में वेतन निर्धारण पद्धति (vii) निदेशक मण्डल स्तर के विशेष मामलों में अन्तिम आहरित वेतन का संरक्षण (viii) अन्य लाभों की गणना प्रयोजनार्थ एनपीए को वेतन न मानना (ix) किसी अन्य भत्तों एवं लाभों को 50% की सीमा से बाहर न रखना सिवाय '4' के जो लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों में दिए गए हैं, और (x) पीआरपी गणना के लिये पीबीटी में ''अंडर रिकवरीज'' को शामिल नहीं करना।

7.5 आईडीए पैटर्न के अधीन कामगारों हेतु मजूरी संशोधन

7.5.1 लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 09.11.2006 और 01.05.2008 और 13.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संघबद्ध कामगारों के साथ वेतन के सम्बन्ध में बातचीत के सातवें दौर (जो सामान्य रूप से क्रमश: 01.01.2007 और 01.01.2012 को लागू है) के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। मार्गनिर्देश वही हैं जो वेतन के सम्बन्ध में छठे दौर की बातचीत पर पहले की नीति में थे। मार्गनिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने मंत्री के अनुमोदन से मजूरी निर्धारण हेतु 10 वर्ष से कम परन्तु 5 वर्ष से कम की अवधि नहीं पर निर्णय ले सकते हैं।

7.6 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सीडीए पद्धति के अधीन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

7.6.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों के कुछ उन लिपिकीय कर्मचारियों, संघबद्ध संवर्गों और कार्यपालकों के लिए सीडीए पद्धति वेतनमान लागू हैं जो 01.01.1986 से 31.12.1988 तक इन कम्पनियों के कर्मचारी थे और उस समय सीडीए पद्धति पर वेतनमान ले रहे थे। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.03.1986 के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा एक उच्च शक्तिप्राप्त वेतन समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 24.11.1988 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशें इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में क्रियान्वित की गई हैं। बाद में दिनांक 28.08.1991 के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के निर्देश के अनुसरण में आईडीए पद्धति और सम्बन्धित वेतनमान 01.01.1989 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में लागू किए गए थे। डीपीए का.ज्ञा. दिनांक 10.8.2009 देखें जिसमें स्पष्ट किया गया कि 'नियुक्ति' में चयन, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति शामिल है। अतएव, सभी नियुक्तियां, पदोन्नति पर नियुक्ति सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वेतन मानों के आईडीए पैटर्न के अन्तर्गत होनी चाहिए।

7.6.2 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 14.10.2008 और 20.01.2009 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीडीए प्रणाली का अनुसरण करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से संशोधन कर दिया

है। वेतन संशोधन का लाभ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के लिए है जो घाटे में नहीं हैं और जो वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति सरकार से बिना किसी बजटीय सहायता के कर सकते हैं।

7.7 वर्ष 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण नीति मार्गनिर्देश और मुख्य-मुख्य बातें :

i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों के संबंध में उनके वेतन निर्धारण सहित शर्तों को अंतिम रूप देने पर लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 14.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन के तहत मार्गनिदेश जारी किए हैं । यह निर्णय लिया गया है कि आगे से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग को अपने प्रशासनिक अधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों की नियुक्ति का वेतन और शर्तों का अपने आंतरिक वित्त विभाग की स्वीकृति से अन्तिम रूप देने की अनुमति दी जाए ।

ii) लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में स्टाफ कार के क्रय, उपयोग, हकदारी और अन्य अनुदेश अपने दिनांक 21.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत मार्गनिदेश जारी किए हैं।

iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंगठित कामगारों के लिए मजूरी वार्ता के 7 वें दौरे (भाग-2) हेतु लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 13.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत नीति जारी की है।

iv) केन्द्रीय सरकारी उद्यम में पैन्शन और सेवानिवृति उपरांत लाभों पर एक कार्यशाला 14.08.2013 को आयोजित की गई थी।

v) लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 18.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत यह स्पष्ट किया है कि अप्रयुक्त नकद/बैंक शेषों पर ब्याज को कर पूर्व लाभ (पीबीटी) से घटाया जा सकता है और पीआरपी को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मुख्य व्यापारिक कार्यों से होने वाले लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता है।

******

अध्याय 8

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण

8.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर पर उद्यम के मुख्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची से संबद्ध वेतनमान दिया जाता है, जबकि कार्यकारी निदेशकों को नीचे की अगली निम्नतर अनुसूची का वेतनमान दिया जाता है। कभी-कभी मुख्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रुग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलती है ।

8.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। बाद के वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनवर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण गुणात्मक मानदण्डों यथा निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर पूर्व लाभ, कर्मचारियों व यूनिटों की संख्या, अतिरिक्त क्षमता, प्रति कर्मचारी आय, नियोजित बिक्री/पूंजी क्षमता प्रयोग, प्रति कर्मचारी का अतिरिक्त मूल्य और गुणात्मक कारक जैसे राष्ट्रीय महत्व, कंपनी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, विस्तार की संभावनाएं एवं क्रियाकलापों का विविधीकरण, तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि शामिल हैं। अन्य कारक,जहां कहीं उपलब्ध हैं, शेयर मूल्यों, एमओयू रेटिंग, महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न दर्जा और आईएसओ प्रमाणन से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के अत्याधिक रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल से विचार विमर्श करता है। वर्तमान में (31.03.2014 तक) अनुसूची 'क' में 64, अनुसूची 'ख' में 69, अनुसूची 'ग' में 47 तथा अनुसूची 'घ' में 4 उद्यम तथा 93 अवर्गीकृत केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अनुसूची-वार सूची **अनुबंध-10** पर दी गई है।

8.3 वर्ष 2013-14 के दौरान, मंगलौर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लि. का उन्नयन (एम आर पी एल) को अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में ; भारत पैट्रो रिसोर्सिज लि. (बी पी आर एल) का उन्नयन अनुसूची 'ग' से अनुसूची 'ख' में किया गया। बायोटेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट कांउसिल (बी आइ आर ए सी) को प्रारम्भिक रूप से अनुसूची 'ख' केन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया और एम ओ आइएल लि. का उन्नयन अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में किया गया।

8.4 वर्ष 2013-2014 के दौरान, कार्यकारी निदेशक अर्थात् बी बी जे कंसट्रक्शन लि. के निदेशक मंडल में निदेशक (परियोजना) का एक पद; एन बी सी सी लि. के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक का एक पद और ओ एन जी सी

विदेश लि. के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (कारोबारी विकास) का एक पद सृजित किया गया।

******

अध्याय 9

लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

9.1 सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार एवं पुनर्संरचना के कार्य और इनसे संबंधित कार्यनीतियों, उपायों और स्कीमों पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से एक परामर्शी निकाय के रूप में दिनांक 06 दिसंबर, 2004 के संकल्प के तहत सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की थी।

9.2 बोर्ड में राज्य मंत्री स्तर का एक अध्यक्ष, तीन अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी इ एस बी); अध्यक्ष, स्कोप; और अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओ एन जी सी) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं जबकि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव इन बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य है। बीआरपीएसई में भारत सरकार के अपर सचिव पद का एक अलग से सचिव भी होता है।

9.3 बीआरपीएसई के विचारार्थ विषय इस प्रकार से हैं:-

(क) केंद्रीय लोक उद्यमों के सुदृढ़ीकरण हेतु अर्थोपाय पर सरकार को परामर्श देना और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करना एवं व्यवहार्य बनाना;

(ख) केंद्रीय सरकारी उद्यमों की पुनर्संरचना अर्थात वित्तीय, संगठनात्मक एवं व्यापार (विविधीकरण, संयुक्त उद्यम, रणनीतिक भागीदार खोजने, विलयन एवं अधिग्रहण सहित) पर विचार करना और ऐसी स्कीमों के वित्त पोषण हेतु अर्थोपाय पर परामर्श देना;

(ग) टर्नअराउंड करने के लिए रुग्ण/घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्संरंचना हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों की जांच करना;

(घ) पुनरुद्धार न किए जा सकने वाले चिरकालीन रुग्ण/घाटा उठाने वाली कंपनियों के संदर्भ में उनके विनिवेश/बंद करने/पूर्ण या आंशिक विक्रय पर सरकार को परामर्श देना। ऐसी अर्थअक्षम कंपनियों के संदर्भ में बोर्ड वैधानिक बकाया चुकाने, कर्मचारियों का प्रतिपूर्ति भुगतान तथा बंद करने की अन्य लागत हेतु उद्यमों की अधिशेष परिसंपतियों के विक्रय सहित निधियों हेतु साधन के बारे में भी सरकार को परामर्श देना;

(ड़) केंद्रीय सरकारी उद्यमों में प्रारंभिक रुग्णता को मॉनीटर करना; और

(च) सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देना।

9.4.1 सचिवीय समिति ने 22.2.2013 के दौरान हुई अपनी बैठक में रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अधिवर्षिता आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव पर बी आर पी एस ई को जॉंच करने के लिए और संबंधित मंत्रालय /विभाग को अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिदेशित किया है।

9.4.2 वर्ष 2013-14 के दौरान बी आर पी एस ई द्वारा आयोजित बैठकों के ब्यौरे अनुबंध-11 में दिए गए हैं। इसने आइ टी आइ लि. , एच एम टी बियरिंग्स लि., फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रैवनकोर लि., ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लि. के लिए पुनरूद्धार पैकैज और एस टी सी एल लि. , हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं. लि. और बीको लॉरी लि. को बंद करने की सिफारिश की। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने 17 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की और 2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने दो प्रारंभी रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों अर्थात् (i) महानगर टेलिकोम निगम लि. और (ii) भारत संचार निगम लि. के कार्य-निष्पादन और आउटलुक की अपनी ओर से समीक्षा की।

9.4.3 इसके अलावा, बी आर पी एस ई ने नैशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि. में अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

9.5 बीआरपीएसई की शुरूआत से और मार्च, 2014 तक, बोर्ड ने 64 ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बारे में अपनी सिफारिशें दीं। 64 पीएसई के संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशें (अनुबंध-12) निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में आती हैं:

क्र. सं.	**श्रेणी**	**लोक उद्यमों की सं.**
1	पुनरुद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरुद्धार	45
2	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण/सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	8
3	विलय/अधिग्रहण द्वारा पुनरुद्धार	5
4	बन्द करना	6
	कुल	**64**

9.6 बीआरपीएसई ने, रूग्ण पीएसई पर सिफारिश देने के अतिरिक्त, उन रूग्ण पीएसई के उच्च प्रबंधन टेलेंट को आकर्षित करने के लिये योजना की भी सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया। बोर्ड ने उन सीपीएसई (आंशिक तौर से रूग्ण) को सुदृढ़ करने के लिये भी सरकार को उपायों की सिफारिश की जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु बढ़ाने की सिफारिश, वेतन संशोधन, वीआरएस/वीएसएस योजनाओं में संशोधन, कर्मचारियों को प्रोत्साहन, रूग्ण उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्ति में भर्ती नियमों में ढील देना भी शामिल है।

9.7 अनुशंसित 64 मामलों में से, सरकार ने 45 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार हेतु और 3 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बंद करने / परिसमापन का अनुमोदन किया है । 3 रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि., ईस्टर्न कोलफील्डस लि. और हिन्दुस्तान फनोरोकार्बन्स लि. के मामले में उनके होल्डिंग केन्द्रीय सरकारी उद्यम अर्थात् कोल इंडिया लि. और हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. पुनरूद्धार पैकेज को कार्यान्वित कर रहे हैं। शेष केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में बी आर पी एस ई की सिफारिशों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसाधित किया जा रहा है (अनुबंध-13)

9.8 पुनरूद्धार हेतु अनुमोदित 48 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से मार्च, 2014 तक 19 रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को टर्नअरांउड घोषित किया गया है क्योंकि उन्होंने सरकार द्वारा सहायता मिलने के पश्चात् लगातार 3 अथवा अधिक वर्षों के लिए लाभ अर्जित किया है।

9.9 बी आर पी एस ई ने 4 टर्नअरांउड रूग्ण सीपीएसई अर्थात् नैशनल प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि., नैशनल फिल्म डेवलप्मेंट कार्पो. लि. , सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट (पूर्व में भारत रिफ्रैक्टरीज लि.) और भारत कोकिंग कोल लि. को सम्मानित करने के लिए 31.10.2013 को 'बी आर पी एस ई टर्नअरांउड अवार्ड:2013' का आयोजन किया ।

******

अध्याय 10

परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन(सीआरआर)

10.1 केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के संदर्भ में, श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण एक आवश्यकता बन गई है । सरकार की नीति मानवीय पहलुओं के साथ संशोधनों को लागू करने की और श्रमिकों की संख्या को कम करने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल रूप से प्रभावित श्रमिकों के लिए समुचित सुरक्षा जाल उपलब्ध कराने की रही है । सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता पर विचार करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण फंड (एन आर एफ) की स्थापना फरवरी 1992 में की थी ताकि वी आर एस के व्ययों को शामिल किया जा सके और संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पुनर्प्रशिक्षण दिया जा सके। पुनर्प्रशिक्षण कार्य औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था। फरवरी, 2000 में एन आर एफ को समाप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के युक्तिसंगत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन(सीआरआर) स्कीम वर्ष 2001-02 से लोक उद्यम विभाग द्वारा लागू की जा रही है। सी आर आर योजना को नवम्बर, 2007 में संशोधित किया गया था ताकि उसके कार्यक्षेत्र और कवरेज को बढ़ाया जा सके। यदि वी आर एस विकल्पी स्वयं उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो इसके लिए वी आर एस विकल्पी का एक आश्रित भी पात्र होगा।

10.2 अन्य बातों के साथ-साथ परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युक्तिसंगत कर्मचारियों का पुनरानुकूलन करना।
- उनको नये काम-धन्धे अपनाने के लिए तैयार करना।
- उन्हें आय अर्जित करने के लिए स्वरोजगार में लगाना।
- उत्पादनकारी प्रक्रिया से दुबारा जुड़ने में उनकी सहायता करना।

10.3 सी आर आर योजना के मुख्य घटक परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन हैं। **परामर्श** से युक्तिसंगत कर्मचारियों को संगठन छोड़ने का मानसिक आघात सहन करने, वी आर एस क्षतिपूर्ति सहित अपनी धनराशि का उचित प्रबंध करने, चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा उत्पादनकारी प्रक्रिया में फिर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, पुनर्प्रशिक्षण उनकी निपुणता/विशेषज्ञता को सशक्त बनाता है। चयनित प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकतानुसार 30/45/60 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। संकाय सहायता आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार की होती है तथा कक्षाओं में शैक्षणिक व्याख्यान के अतिरिक्त सम्बद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सम्पर्क करते हैं तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में उनकी सहायता की जाती है। पुनर्प्रशिक्षण का ध्येय ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से **पुनर्नियोजन** करना है। वर्तमान योजना में स्वरोजगार की दर को अधिकतम बनाने का उद्देश्य है। अत: नोडल

अभिकरण आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते हैं, ऋण संस्थानों के साथ संपर्क जोड़ते हैं तथा पुनर्प्रशिक्षण कार्मिकों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

10.4 नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श देने, पुनरानुकूलन करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम/ सामग्री का विकास करने, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण पश्चात् अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार करने, ऋण संस्थानों के साथ अंत:संबंध स्थापित करने, स्वरोजगार में सहायता प्रदान करने, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क करने में दायित्वों का निष्पादन होता है।

10.5 योजना की सफलता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें पृथक्कृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुन: प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

10.6 वर्ष 2013-14 में, बजट अनुमान के रूप में 7.00 करोड़ रू. के और संशोधित अनुमान के रूप में 5.40 करोड़ रुपये की योजना निधि सी आर आर योजना के कार्यान्वयन हेतु आबंटित की गई थी। वर्ष के दौरान 27 कर्मचारी सहायता केंद्रों सहित 8 नोडल अभिकरण पूरे देश में प्रचालनरत थे। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 सहित प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या**
2001-02	8064
2002-03	12066
2003-04	12134
2004-05	28003
2005-06	32158
2006-07	34398
2007-08	9728
2008-09	9772
2009-10	7400
2010-11	9265
2011-12	9400
2012-13	7506

2013-14	3230
कुल	**1,83,124**

10.7 वर्ष 2013-14 के दौरान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान (निसबड) जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है ने तीसरा पक्ष निर्धारक एजेन्सी (टी पी ए ए) के रूप में नोडल एजेन्सियों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन पर और सी आर आर योजना के मूल्यांकन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सी. आर. आर. योजना के मूल्यांकन पर निष्कर्षों और सिफारिशों को नोडल एजेन्सियों, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अनुपालन हेतु परिपत्रित कर दिया गया है।

10.8 प्रचालनरत नोडल एजेंसियॉं (2013-14) की एक सूची **अनुबंध-14** पर दी गई है।

******

अध्याय 11

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस)

11.1 कुछ केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, सरकार ने अक्तूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की थी। बाद में लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2000 में एक व्यापक पैकेज अधिसूचित किया गया था। कुछ केंद्रीय सरकारी उद्यमों को पेश आई कठिनाईयों को देखते हुए, जहां 1992 अथवा 1997 का वेतन संशोधन (जैसा भी मामला हो) को प्रवृत्त नहीं किया जा सका, वीआरएस को नवंबर, 2001 की तत्पश्चात अधिसूचना के जरिए और उदार बनाया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिसूचना उन कर्मचारियों के लिए 100% अतिरिक्त मुआवजे की व्यवस्था करता है जहां 1992 के वेतन संशोधन को प्रवृत्त नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, 50% अतिरिक्त मुआवजे की अनुमति उन कर्मचारियों के लिए दी गई थी। जहां 1997 के वेतन संशोधन को प्रवृत्त नहीं किया जा सका। 1986 के वेतनमानों पर सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले कर्मचारियों के लिए वीआरएस के अंतर्गत अनुग्रह राशि की अदायगी को 26.10.2004 से 50% और बढ़ा दिया गया है। वीआरएस मुआवजे में इस प्रकार की वृद्धि को कर्मचारियों के मौजूदा वेतन के आधार पर आकलित किया जाना है।

11.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो स्वयं अपने अतिरिक्त स्रोतों से इसे वहन कर सकें

11.2.1 वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसे विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

11.3 मामूली लाभ वाले अथवा घाटा उठाने वाले/ रुग्ण/अर्थअक्षम केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना:

11.3.1 मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली/ घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अर्थअक्षम कंपनियां निम्नलिखित मॉडल में से किसी एक को अपना सकती हैं

गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति का आकलन किया जाता है, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी; अथवा

भारी उद्योग विभाग डीएचआई मॉडल, जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन+महंगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि

प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60(साठ) महीने का वेतन/मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन/मजूरी की राशि से अधिक न हो।

******

अध्याय – 12

कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.1 केंद्रीय सरकारी उद्यम अपने स्वयं के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत वे मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को अपने स्वयं के प्रबंधन संस्थानों द्वारा या भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों या भारत के प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों की सेवाएं आउटसोर्स द्वारा प्राप्त करके, प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास तथा उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक मंडल के पदेन सदस्य है। संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम संस्थान (आईपीई), हैदराबाद के गवर्ननरों के बोर्ड के सदस्य है।

12.2 भारत, लूब्जाना, स्लोवीनिया में स्थित 'उद्यम संवर्द्धन हेतु अंतरराष्ट्रीय केन्द्र' के लिए संस्थापक सदस्य है। इसे विकासशील देशों के अंत:सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था ताकि वे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपने लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार ला सकें। भारत, वर्तमान में सचिव, लोक उद्यम विभाग के प्रतिनिधित्व में, आईसीपीई, परिषद का अध्यक्ष है। आईसीपीई अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कंसलटेंसी कार्य करके और प्रलेखन और प्रकाशन कार्यकलापों के जरिए सूचना का प्रसार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसका उद्देश्य कारपोरेट अभिशासन, प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित बहुत से मुद्दों पर कल्पना एवं व्यवहार के बीच अंतर को कम करने का है। भारत ने पूर्व में लंबी अवधि और अल्पावधि कोर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों/वर्कशाप, भारत के लोक उद्यमों के कार्यपालकों के लिए लोक उद्यम विभाग के सहयोग से आईसीपीई द्वारा आयोजित सम्मेलनों से लाभ उठाया गया है।

12.3 लोक उद्यम विभाग की पहल पर, वर्ष 2013-14 के लिए एक वर्ष का अंतरराष्ट्रीय एमबीए कोर्स, आईसीपीई में अक्तूबर, 2013 से दो वर्ष के अंतराल के पश्चात में पुन: प्रारंभ किया गया। भारतीय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से नौ वरिष्ठ/मध्यम स्तर के कार्यपालक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

12.4 लोक उद्यम विभाग ने आईसीपीई द्वारा भारत के महत्वपूर्ण शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क बनाने में उनके लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। लोक उद्यम विभाग ने आईसीपीई और तीन प्रबंधन/प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईएमआई), नई दिल्ली और भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई) हैदराबाद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को सुकर बनाया है जिससे इन संस्थानों के बीच शैक्षणिक/अनुसंधान सहयोग में सहायता मिलेगी ताकि लोक उद्यम कार्यपालकों की व्यावसायिक संवृद्धि और उनके क्षमता निर्माण में सहायता मिल सकेगी।

******

अध्याय – 13

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सततता

13.1 लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने 'सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी' पर केंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतु 31 दिसंबर,2012 को दिशानिर्देश जारी किए थे जो 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हुए थे। इन दिशानिर्देशों को सभी प्रमुख स्टेकोहोलडर के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके तैयार किया गया था और इस प्रकार उसे काफी सराहना मिली थी।

13.2 लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर सीएसआर से डील करने वाले वरिष्ठ लोक उद्यम कार्यपालकों को संवेदनशील बनाने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में सेमिनार और वर्कशाप का आयोजन किया। 400 से अधिक केंद्रीय सरकारी उद्यम कार्यपालकों ने इन सेमिनार/वर्कशॉप में भाग लिया और इनमें हुए विचार-विमर्श से उन्हें लाभ हुआ। लोक उद्यम विभाग ने सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पर अपने दिशानिर्देशों का प्रचार भी किया और सीएसआर पर आयोजित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों पर अपनी प्रस्तुतियां दीं।

13.3 तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना और 27.02.2014 को जारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उसके अंतर्गत बनाई गई सीआरएस नियमावली के द्वारा, लोक उद्यम विभाग ने अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है ताकि उन्हें इस विषय पर नए नियमों के अनुरूप बनाया जा सके।

******

अध्याय – 14

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट

14.1 उद्योग पर विभाग आधारित स्थायी समिति ने अपनी 216 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि लोक उद्यम विभाग को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा नीतियॉं और दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने में एक अर्थपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। उसके अनुपालन में, लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 29.7.2010 के अपने कार्यालय ज्ञापन के तहत सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को वार्षिक अनुपालन रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे और उनसे अनुरोध किया था कि वे अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों को इस संबंध में लोक उद्यम विभाग को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

14.2 इसके परिणामस्वरूप, अभी तक, 220 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 183 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। वे केन्द्रीय सरकारी उद्यम जिन्होंने वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक अनुपालन रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की हैं, उन की सूची अनुबंध-15 पर दी गई हैं।

******

अध्याय-15

राजभाषा नीति

15. 1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यत: राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत उल्लिखित विविध उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

15.2 वर्ष 2013-14 के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा-पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में काम करती है।

15.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 14 सितम्बर, 2013 से 28 सितंबर, 2013 तक "हिन्दी पखवाड़ा" आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विविध प्रतियोगिताओं, यथा हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी श्रुतलेखन तथा हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर पर) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सचिव, लोक उद्यम विभाग द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

15.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में "लोक उद्यम सर्वेक्षण" नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है तथा लोक उद्यम विभाग की वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी/अंग्रेजी में प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है।

******

अध्याय-16

महिलाओं का कल्याण

16.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लिंग की समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक नीति में हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का उन्नयन है।

16.2 विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन भी किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को पहले से ही विस्तृत दिशानिर्देश एवं मानदण्ड जारी कर दिए हैं।

16.3 विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 122 है, जिनमें से 12 महिला कर्मचारियों सहित 76 अधिकारी/कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा के साथ और बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

******

अध्याय 17

योजनागत निधि व्यय का विवरण

लोक उद्यम विभाग – अनुदान सं. 52 (2013-14)		
	रुपये करोड़ में	
योजनाएं	**संशोधित प्राक्कलन 2013-14**	**कुल व्यय 2013-14**
योजना		
सूचना प्रौद्योगिकी	5500	5484
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
सहायता अनुदान	**8200**	0
कांउसिलिंग, पुनर्प्रशिक्षण और पुन:नियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना / नोडल एजेन्सियां जोड़ना आदि		
सहायता अनुदान	54000	47287
केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान, विकास और कंसल्टेंसी		
प्रकाशन	2320	3142
अन्य प्रशासनिक व्यय	500	243
व्यावसायिक सेवाएं	2080	2185
सहायता अनुदान	1900	1209
राज्य स्तरीय उद्यमों के कार्यपालकों का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम		
सहायता अनुदान	8000	4639
कुल	**8,25,00**	**6,41,89**

अध्याय 18

परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)

18.1. परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) जनता के अधिदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री और इस अधिदेश को लागू करने हेतु उत्तरदायी विभाग के सचिव के बीच समझौते का एक रिकार्ड है। प्रधानमंत्री ने सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लिए एक कार्य निष्पादन मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) की रूपरेखा को अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए परिणाम कार्य ढांचा दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है। सरकारी कार्य निष्पादन पर मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 3.3.2011 को आयोजित अपनी बैठक में विभागीय आरएफडी, संबंधित उपलब्धियां और मिश्रित स्कोर को विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में जोड़ने को अनुमोदित कर दिया था।

18.2. आरएफडी में उन अति महत्वपूर्ण परिणामों के सारांश का उल्लेख होता है जिन्हें कोई मंत्रालय/विभाग वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त करने की आशा करता है। इस दस्तावेज में न केवल सहमति वाले उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का उल्लेख होता है बल्कि उन्हें लागू करने में प्रगति को मापने हेतु सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों का भी उल्लेख होता है।

18.3. लोक उद्यम विभाग ने आरएफडी से संबंधित कवायद 2009-10 से शुरू किया है। लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012-13 के संबंध में अपनी चौथी रिपोर्ट तैयार की है। कुल मिलाकर ग्यारह विभाग विशिष्ट लक्ष्य आरएफडी 2012-13 में शामिल किए गए और कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रभाग की सलाह पर चार और अनिवार्य उद्देश्य आरएफडी में जोड़े गए थे। चूंकि यह विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नोडल विभाग है, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मानीटरिंग करने, इन्हें सुविधा संपन्न बनाने और इनकी सहायता करने में समग्र सक्षमता लाने के उद्देश्य से आरएफडी उद्देश्य/लक्ष्य तैयार किए गए। लोक उद्यम विभाग के आरएफडी 2012-13 के लक्ष्य विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्षेत्र को कवर करते हैं:

i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन
ii) सभी स्तर पर प्रबंधन को पेशवर बनाना
iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल पर निदेशक मंडल स्तर के पदों का सृजन
iv) समझौता ज्ञापन प्रणाली की कार्य क्षमता में सुधार
v) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से अलग किए गए कर्मचारियों के लिए काउंसिलिंग, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्त योजना
vi) सी एस आर नीति का कार्यान्वयन
vii) लोक उद्यम सर्वेक्षण
viii) स्थायी मध्यस्थता तंत्र के जरिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटान ।

18.4. लोक उद्यम विभाग ने तेरह उद्देश्यों में उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त किए हैं। पीएमडी के सरकारी कार्यनिष्पादन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने लोक उद्यम विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है और आरएफडी 2012-13 पर लोक उद्यम विभाग के समग्र कार्य निष्पादन पर 98.47% का मिश्रित स्कोर प्रदान किया है।

18.5. आरएफडी 2012-13 में शामिल विस्तृत उद्देश्य, उनके तदनुरूपी लक्ष्य और मिश्रित स्कोर अनुबंध-16 में दिए गए हैं।

******

अध्याय 19

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण

19.1 बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के प्रति नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक एवं भर्ती नीतियों को संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। तथापि, सामान्य महत्व के मामलों में, भारत सरकार द्वारा उन उद्यमों को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिसे उन उद्यमों द्वारा अपने स्वयं की कारपोरेट नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा औपचारिक राष्ट्रपतिक दिशानिर्देश संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यमों को जारी किए जाते हैं ताकि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नियोजन के संबंधमें आरक्षण उसी तर्ज पर करें जैसा कि केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों में लागू हैं।

19.2 लोक उद्यम विभाग द्वारा एससी और एसटी हेतु आरक्षण पर सभी महत्वपूर्ण अनुदेश शामिल करके एक व्यापक राष्ट्रपतिक दिशानिर्देश सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को 25 अप्रैल, 1991 को जारी किए गए थे ताकि उन्हें औपचारिक रूप से केंद्रीय सरकारी उद्यमों को जारी किया जा सके। आवश्यक परिवर्तनों और संशोधनों को केंद्रीय सरकारीउद्यमों को सूचना एवं अनुपालन हेतु उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के जरिए परिपत्रित कर दिया गया है।

19.3 तत्पश्चात, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल कमीशन) की सिफारिशों के आधार पर और इंदिरा साहनी मामलेमें उच्च्तम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु 27% रिक्तियों में आरक्षण प्रदानकरने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति तैयार करता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को 8.9.1993 से लागू कर दिया गया था। लोक उद्यम विभाग केंद्रीयसरकारी उद्यमोंको उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के जरिए अनुपालन हेतु इन निर्देशों को भेजता रहा है। एक व्यापक राष्ट्रपतिक आदेश जिनमें ये सारे अनुदेश शामिल थे को लोक उद्यम विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को दिनांक 27 जुलाई,1995 के डीपीई का.ज्ञा. के तहत भेज दिया है ताकि वे अपने नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

19.4 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27%आरक्षण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% के उप कोटा के आवंटन से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों को भी लोक उद्यमविभाग कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2 जनवरी,

2012 के तहत प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों (केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित) को उनके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों में लागू करने के लिए भेज दिया गया है।

19.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षित रिक्तियों के हकदार अन्य वर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए मौजूदा कोटा निम्नानुसार है:

आरक्षण के लिए कोटा

श्रेणी	समूह 'क' और 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
अनुसूचित जाति	15%	15%	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	7.5%	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% का उप कोटा जोड़कर)	27%	27%	27%
शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति	3%	3%	3%
भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रित	–	14.5%	24.5%

समूह 'क': प्रबंधकीय/कार्यकारी स्तर **समूह 'ख': निरीक्षण स्तर**

समूह 'ग': कामगार/लिपिकीय स्तर **समूह 'घ': अर्द्ध-कुशल/अकुशल**

19.6 31.03.2013 की स्थितिनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों में अनु.जा./अ.ज.जा./अन्य पि.वर्ग/अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

समूह	कर्मचारियों की कुल सं.	कुल आरक्षण (5+7+9)	%	31.03.2013 की स्थितिनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों में अनु.जा./अ.ज.जा./अन्य पि.वर्ग/ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है							
				अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	अन्य पिछड़ा वर्ग की सं.	%	अल्पसंख्यकों की सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क'	276430	85880	31.07	39350	14.24	14133	5.11	32397	11.72	18767	6.79
समूह 'ख'	139940	35745	25.54	15157	10.83	6857	4.90	13731	9.81	8615	6.16
समूह 'ग'	698607	333656	47.76	142898	20.45	71631	10.25	119127	17.05	66253	9.48
समूह 'घ'	289480	93135	32.17	41866	14.46	25793	8.91	25476	8.80	12302	4.25
कुल	**1404457**	**548416**	39.05	239271	17.04	118414	8.43	190731	13.58	105937	7.54

* 238 केंद्रीय सरकारी उद्यमों पर आधारित आंकड़े

19.7 आरक्षित पदों को समय पर भरने और बैकलॉग को समाप्त करने की आवश्यकता पर समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के जरिए बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे

अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी उद्यमों को सलाह दें कि वे मौजूदों अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भरे न गए आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों को भरें।

19.8 लोक उद्यम विभाग ने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के जरिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण के लिए ऐसी ही योजना के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। भूतपर्वू सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि केंद्रीय सरकारी उद्यमों में उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम, जो एजेंसी/डीलरशिप प्रदान करने की स्थिति में हैं, को सलाह दी गई है कि वे भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी एजेंसियां/डीलरशिप आवंटित करने के लिए कोटा आरक्षित करे।

19.9 लोक उद्यम विभाग ने 11.03.1997 को केंद्रीय सरकारी उद्यमों में शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार देनेके कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हुए केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को राष्ट्रपतिक निर्देश जारी किए हैं। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के साथ, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु आरक्षण, सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले अभिज्ञात समूह 'क' एवं 'ख' पदों पर भी लागू होगा। इस अधिनियम के अनुसार कम से कम 3% पद शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे जिसमें से 1% पद (i) दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि वाले (ii) बधिर एवं (iii) हाथ-पैरों से नि:शक्त व्यक्तियों अथवा मस्तिष्क पक्षाघात से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। तदनुसार, सभी केंद्रीय सरकारी उद्यमों को अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है।

******

अनुबंध-1

(प्रस्तावना का पैरा 6)

लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा

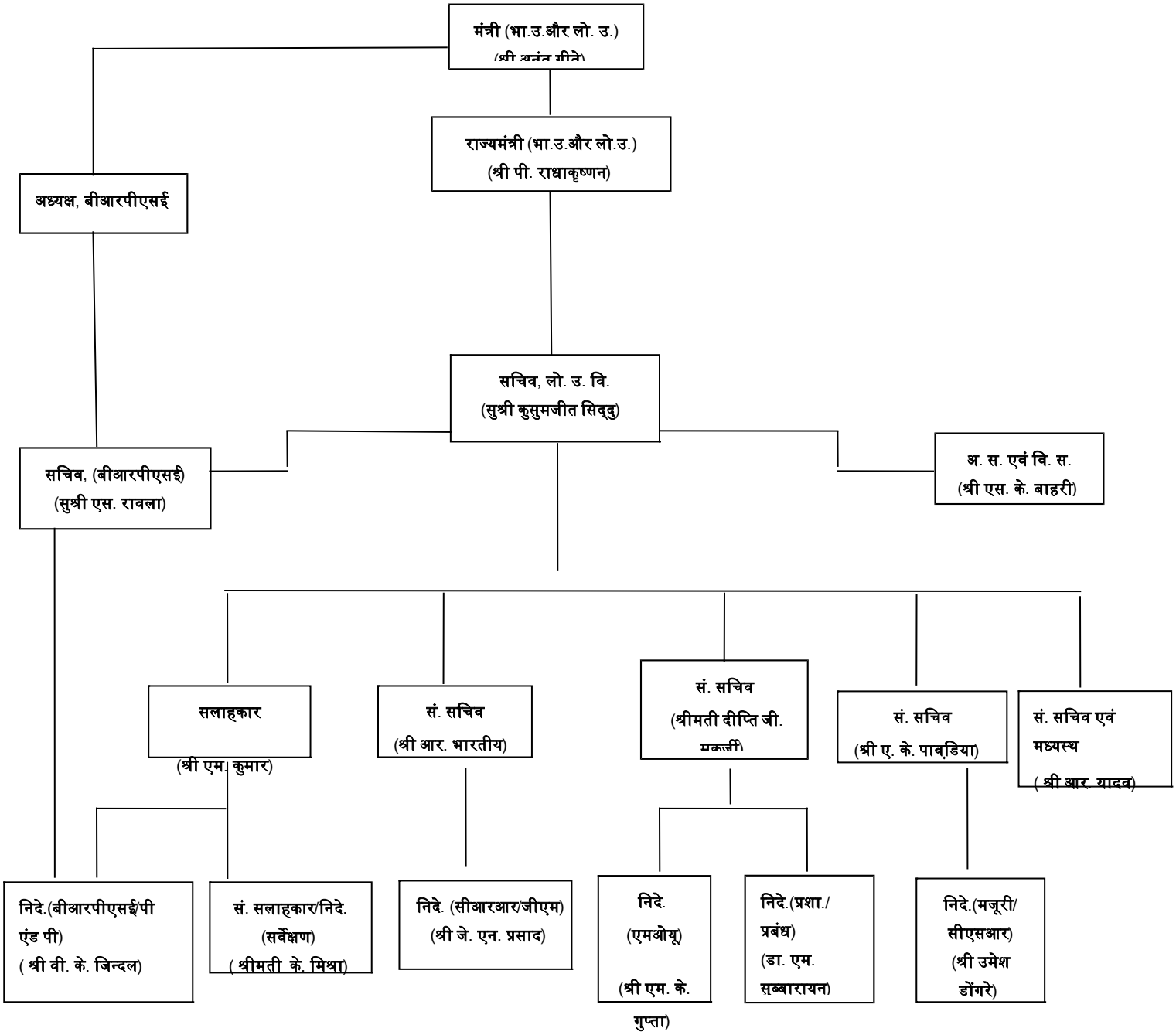

अनुबंध-2

(पैरा 1.6.6)

वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

- दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 277 सीपीएसई की कुल प्रदत्त पूंजी 1,85,282 करोड़ रूपए थी जबकि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 260 सीपीएसई की कुल प्रदत्त पूंजी 1,63,863 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार इसमें 13.07% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सभी सीपीएसई में कुल पूंजी निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) 8,50,599 करोड़ रूपए रहा, जबकि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार यह 7,29,295 करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 16.63% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सभी सीपीएसई में कुल नियोजित पूंजी (प्रदत्त पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष राशियां तथा दीर्घकालिक ऋण) 15,32,007 करोड़ रूपए रहा, जबकि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार यह 13,52,970 करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 13.23% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2012-13 के दौरान सभी सीपीएसई के प्रचालन से प्राप्त कुल टर्नओवर/सकल राजस्व 19,45,777 करोड़ रूपए रहा, जबकि गत वर्ष में यह 18,22,049 करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 6.79% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2012-13 के दौरान सभी सीपीएसई की कुल आय 19,31,150 करोड़ रूपए रही, जबकि 2011-12 में यह 18,04,615 करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 7.01% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2012-13 के दौरान लाभ कमाने वाली सीपीएसई का लाभ 1,43,559 करोड़ रूपए रहा, जबकि 2011-12 में यह 1,25,929 करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 14.00% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2012-13 के दौरान घाटा झेल रहे सीपीएसई की हानि 28,260 करोड़ रूपए रहा, जबकि 2011-12 में यह 27,683 करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 2.08% हानि की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2012-13 के दौरान सभी 229 सीपीएसई का संपूर्ण निवल लाभ 1,15,300 करोड़ रूपए रहा, जबकि 2011-12 में यह 98,245 करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 17.36% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2011-12 के दौरान सभी सीपीएसई की आरक्षित और अधिशेष निधियां 6,23,671 करोड़ रूपए से बढ़कर 2012-13 के दौरान 6,81,409 करोड़ रूपए रहा। इस प्रकार इसमें 9.26% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2011-12 के दौरान सभी सीपीएसई का निवल मूल्य 7,87,535 करोड़ रूपए से बढ़कर 2012-13 के दौरान 8,66,691 करोड़ रूपए रहा। इस प्रकार इसमें 10.05% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगमित कर, केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्कों और करों के माध्यम से केंद्रीय राजकोष (एक्सचेकर) में सीपीएसई का योगदान 2011-12 में 1,62,402 करोड़ रूपए से बढ़कर 2012-13 में 1,62,761 करोड़ रूपए हो गया। इस प्रकार इसमें 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई।

- वर्ष 2011-12 के दौरान माल और सेवाओं के निर्यात के जरिए विदेशी विनिमय से होने वाली आय 1,27,880 करोड़ रूपए से बढ़कर 2012-13 के दौरान 1,38,150 करोड़ रूपए हो गया। इस प्रकार इसमें 8.03% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2011-12 के दौरान आयात और रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्श, ब्याज और अन्य व्यय पर विदेशी विनिमय से बहिर्गमन (आउटगो) 7,33,542 करोड़ रूपए से घटकर 2012-13 में 6,46,262 करोड़ रूपए हो गया । इस प्रकार इसमें 11.90% की कमी दर्ज की गई।

- वर्ष 2011-12 में 14.50 लाख लोगों की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान सीपीएसई में 14.04 लाख लोगों (संविदागत श्रमिकों को छोड़कर) को नियोजित किया गया। इस प्रकार इसमें 3.28% की कमी दर्ज की गयी।

- वर्ष 2011-12 में सभी सीपीएसई का वेतन और मजदूरी 1,05,648 करोड़ रूपए से बढ़कर 2012-13 में 1,16,375 करोड़ रूपए हो गई। इस प्रकार इसमें 10.15% की वृद्धि दर्ज की गई।

- **कुल बाजार पूंजीकरण :** 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 46 सीपीएसई ने व्यापार किया। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक मूल्यों के आधार पर 45 सीपीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण 12,57,792.00 करोड़ रूपए था और 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 46 सीपीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण 11,16,817.00 करोड़ रूपए रहा। इस प्रकार 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजीकरण की तुलना में 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सीपीएसई के कुल बाजार पूंजीकरण में -11.21% की कमी (1,40,975.00 करोड़ रूपए) दर्ज की गई है।

- 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बीएसई एम कैप के प्रतिशत के रूप में सीपीएसई का एम कैप 20.24% से घटकर 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 17.64% हो गया।

अनुबंध-3

(पैरा 1.6.6)

229 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी उद्यमों के सूक्ष्म अवलोकन का कार्यनिष्पादन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रचालनरत उद्यमों की सं.	230	227	226	217	214	213	217	220	225	229
नियोजित पूंजी	452336	504407	585484	661338	724009	792232	908007	1153947	1387821	1510373
कुल सकल टर्नओवर/राजस्व	630704	744307	837295	964890	1096308	1271529	1244805	1498018	1822049	1945777
कुल निवल आय/राजस्व	613706	734944	829873	970356	1102772	1309639	1272219	1470569	1804614	1931149
निवल मूल्य	291828	341595	397275	454134	518485	583144	652993	709505	776161	851245
मूल्यह्रास, हानि, ब्याज, विशेष मदों, असाधारण अन्य मदों और कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईआईटी)	127320	142554	150262	177990	195049	186836	211184	216602	250415	256826
मूल्यह्रास, निशेषण और ऋण चुकाना	31251	33147	34848	33141	36668	36780	41603	57118	53590	66117
डीआरई/हानि	1025	986	992	5841	5802	7661	9565	187	153	436
ब्याज, विशेष मदों, असाधारण अन्य मदों और कर पूर्व लाभ (पीबीआईईईटी)	95039	108420	114422	139008	152579	142395	160017	159298	186671	190271
ब्याज	23835	22869	23708	27481	32126	39300	36060	26521	35911	37789
असाधारण अन्य मदें और कर पूर्व लाभ (पीबीईईटी)	71144	85550	90714	111527	120453	103095	123957	132777	150759	152482
विशिष्ट मदें	---	---	---	---	---	---	---	-1479	-12372	-36766
असाधारण अन्य मदें और कर पूर्व लाभ (पीबीईटी)	---	---	---	---	---	---	---	134256	146803	164854
असाधारण मदें	-3933	-1075	-3192	-3880	-1570	-14600	-8264	-2695	-428	-1453
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	75077	86625	93906	115407	122023	117695	132221	136951	147231	166308
कर प्रावधान	22134	21662	24370	34352	40749	33828	40018	44871	48986	51008
निरंतर प्रचालनों से कर के	52943	64963	69536	81055	81274	83867	92203	92129	98245	115299

उपरांत निवल लाभ/हानि										
प्रचालन समाप्ति पर कर उपरांत निवल लाभ/हानि	---	---	---	---	---	---	---	49	1	0
समग्र निवल लाभ/हानि	52943	64963	69536	81055	81274	83867	92203	92129	98246	115298
लाभ कमाने वाले सीपीएसई का लाभ	61606	74432	76382	89581	91577	98488	108434	113944	125929	143559
हानि उठाने वाले सीपीएसई की हानि	8522	9003	6845	8526	10303	14621	16231	21817	27683	28260
लाभ अर्जक सीपीएसई (सं.)	139	143	160	154	160	158	157	158	161	149
घाटा उठाने वाले सीपीएसई (सं.)	89	73	63	61	54	55	60	62	64	79
कोई लाभ/हानि नहीं उठाने वाले सीपीएसई	2	-	1	1	-	-	-	-	--	1
लाभांश	15288	20718	22886	26819	28123	25501	33223	35700	42627	49701
लाभांश कर	1961	2852	*3215*	4107	4722	4132	5151	5394	5877	6703
प्रतिधारिता लाभ	35835	41394	43435	50129	48429	54233	53820	51056	49741	58894
उन प्रचालनरत सीपीएसई की संख्या जिन्होंने जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।	---	--	2	1	---	---	---	---	---	---

अनुबंध-4

(पैरा 2.1.3)

महारत्न स्कीम की मुख्य बातें

1. **लक्ष्य :** महारत्न स्कीम का मुख्य लक्ष्य बड़े केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधिकार देना है ताकि वे अपना प्रचालन बढ़ा सकें और विश्व स्तर पर बड़ी कम्पनियों के रूप में उभर सकें। महारत्न स्कीम से बड़े केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधिकार मिलेंगा ताकि वे प्रचालन को विस्तार देते हुए विश्व स्तर पर बड़े केन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में विकसित हो सकें।

2. **महारत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता सम्बन्धी मानदण्ड:-** निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम महारत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किए जाने के पात्र हैं :-

   (1) नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो

   (2) सेबी के विनियमों के अन्तर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो

   (3) गत तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत 25,000 करोड़ रूपये से अधिक का हो

   (4) गत तीन वर्षों के दौरान उसकी औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रूपये से अधिक हो

   (5) गत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत कर पश्चात वार्षिक निवल लाभ 5000 करोड़ रूपए से अधिक रहा हो

   (6) वेश्विक स्तर पर प्रभावी उपस्थिति हो या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालनरत हो ।

3. महारत्न दर्जा स्वीकृत करने/समाप्त करने की प्रक्रिया महारत्न दर्जा देने तथा साथ ही उनका पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया की भांति ही है।

4. महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियां : महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड, नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अधिकार प्रयोग करने के साथ-साथ संयुक्त उद्यमों / सहायक कम्पनियों में निवेश तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के सृजन में अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों के पास अधिकार होंगे – (क) भारत में या विदेश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में इक्विटी निवेश करने तथा (ख) भारत में या विदेश में एक परियोजना में उसके निवल मूल्य में 15%की सीमा तक विलयन तथा अधिग्रहण करना जो रू. 5000 करोड़ (नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए रू. 1000 करोड़) की पूरी सीलिंग तक सीमित होगा। सभी

परियोजनाओं में ऐसे इक्विटी निवेश तथा विलयन एवं अधिग्रहण पर कुल मिलाकर सीलिंग संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों के पास ई-9 स्तर से नीचे के पदों के सृजन का अधिकार होगा।

अनुबंध -5

(पैरा 2.2.2)

नवरत्न योजना की प्रमुख विशेषताएं

1. नवरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता शर्तें:

लोक उद्यम जो मिनीरत्न-I, अनुसूची 'क' हैं और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से तीन में 'उत्कृष्ट' अथवा 'बहुत अच्छा' एमओयू रेटिंग प्राप्त की हैं, पात्र हैं।

कार्यनिष्पादन का 'संयुक्त अंक' 60 अथवा अधिक होना चाहिए।

किसी लोक उद्यम के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए, पिछले तीन वर्षों के लिए उसके कार्य-निष्पादन पर आधारित संयुक्त अंक का आकलन किया जाएगा। संयुक्त अंक का आकलन करने के लिए, लोक उद्यमों पर उनकी सामान्य प्रयोजनीयता के आधार पर छह (6) कार्य निष्पादन संकेतकों की पहचान की गई हैं। इन कार्यनिष्पादन संकेतकों को लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए चुना गया है, चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र से हों या सेवा क्षेत्र से पहचान किए गए। 6 निष्पादन संकेतक इस प्रकारहै:-

(अधिकतम भार)	100
1. निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ	25
2. उत्पादन की कुल लागत अथवा सेवा लागत की तुलना में जनशक्ति लागत	15
3. नियोजित पूंजी की तुलना में पीबीडीआईटी	15
4. कुल कारोबार की तुलना में पीबीआईटी	15
5. अर्जन प्रति शेयर	10
6. अंतर क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन	20

2. नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को जो शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, वो निम्नानुसार हैं:

(i) **पूंजीगत व्यय:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों को खरीदने के के लिए अथवा उहें बदलने के लिए पूंजीगत व्यय उपगत करने की शक्तियां हैं।

(ii) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीति के गठबंधन:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने के और क्रय द्वारा अथवा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी एवं जानकारी प्राप्त करने की शक्तियां हैं।

(iii) **संगठनात्मक पुन:संरचना:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास लाभ केन्द्रों,भारत और विदेश में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्र सृजित करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्संरचना करने की शक्तियां हैं।

(iv) **मानव संसाधन प्रबंधन:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को ई-6 स्तर के पदों का सृजन करने की और गैर-निदेशक स्तर के निदेशकों तक सभी पदों को समाप्त करने की और इसी स्तर तक सभी नियुक्तियां करने की शक्तियां हैं। इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को आंतरिक स्थानांतरण करने की और पदों को पुन: पदनामित करने के लिए और सशक्त किया गया है। नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल के पास, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) से संबंधित शक्तियों को बोर्ड की उप-समितियों को अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को जैसा भी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए आगे प्रत्यायोजित करने की शक्तियां हैं।

(v) **संसाधनों का एकत्रीकरण:** इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को घरेलू पूंजीगत बाजारों से ऋण लेने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने के लिए इस शर्त के अध्यधीन शक्ति दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक/आर्थिक संकार्य विभाग का अनुमोदन, जैसा भी आवश्यक हो, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(vi) **संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियां:** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस शर्त के साथ कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का इक्विटी निवेश निम्नलिखित के लिए सीमित रहना चाहिए:-

i. किसी भी परियोजना में रु. 1000 करोड़,

ii. किसी एक परियोजना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नेटवर्थ का 15%,

iii. सभी संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के नेटवर्थ का 30% ।

(vii) **विलयन और अधिग्रहण:** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्तें/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ-साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(viii) **सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेश**: नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इस शर्त के अधीन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटीज फ्लोट करने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं कि नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां प्रत्यायोजित होगी और इस परंतुक के साथ कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

(ix) **कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरे:** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

3. नवरत्न शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देश:

क) इन प्रस्तावों को संगत कारकों का विश्लेषण करके और प्रत्याशित परिणाम और लाभों की मात्रा का निर्धारणकरके निदेशक मंडल को लिखित में और काफी समय पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जोखिम वाले कारक, यदि कोई हों, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ख) सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यकारी निदेशक को मुख्य निर्णय लिए जाने के दौरान प्रस्तुत रहना चाहिए विशेष रूप से तब जब ये निर्णय निवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूंजी पुनर्संरचना से संबंधित हो।

ग) ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए।

घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया हो तो एक बहुमत निर्णय लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय लेते समय कम से कम एक तिहाई निदेशक, मौजूद रहने चाहिए। आपत्तियां, असहमतियां, रद्द करने के और निर्णय लेने के कारणों को लिखित में और विस्तारपूर्वक तैयार कर लिया जाना चाहिए।

ड.) सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी अथवा कोई आपातकालीन उत्तरदायित्व भी नहीं होगा।

च) ये केन्द्रीय सरकारी उद्यम गैर-सरकारी निदेशकों की सदस्यता वाले बोर्ड की लेखा समिति की स्थापना सहित आंतरिक मॉनीटरिंग की पारदर्शी और प्रभावी प्रणालियों की भी स्थापना करेंगे।

छ) सभी प्रस्ताव, जहां वे पूंजीगत व्यय निवेश अथवा अन्य मामलों से संबंधित हैं जिसमें काफी मात्रा में वित्तीय अथवा प्रबंधकीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं अथवा जहां उनका केन्द्रीय सरकारी उद्यम की अवसंरचना और कार्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, को व्यावसायिकों और विशेषज्ञों की सहायता से अथवा उनके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उचित मामलों में वित्तीय संगठनों अथवा इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठनों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन में ऋण अथवा इक्विटी भागीदारी के जरिए मूल्यांकन करने वाले संगठनों की सहभागिता भी होनी चाहिए।

ज) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक भागीदारी में शामिल होने के प्राधिकार का प्रयोग, समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

झ) प्राधिकार के और अधिक प्रत्यायोजन की प्रक्रिया से पहले प्रथम चरण के रूप में इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड में कम से कम चार और गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

ञ) इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने प्रोग्रामों को लागू करने के संसाधन, उनके अपने आंतरिक संसाधनों अथवा पूंजीगत बाजार सहित अन्य स्रोतों के जरिए लिए जाने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी सरकारी गारंटी, बाह्य डोनर एजेंसियों के मानक शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित है, उसे प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी सरकारी गारंटी नवरत्न दर्जे को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय हित की सरकारी प्रायोजित परियोजनाएं लागू करने के लिए और सरकारी प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उनका नवरत्न दर्जा बनाए रखने के लिए अयोग्य नहीं बनाएगी। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए, निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे न कि संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा।

अनुबंध -6

(पैरा 2.3.2)

मिनीरत्न स्कीम की मुख्य-मुख्य बातें

1. **मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु योग्यता और मानदण्ड निम्नवत है:-**

(i) श्रेणी-I केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए इन तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या इससे अधिक कर पूर्व लाभ होना चाहिए और सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।

(ii) श्रेणी-II केंद्रीय सरकारी उद्यमों ने गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित और सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।

(iii) केंद्रीय सरकारी उद्यम और अधिक शक्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने ऋणों के भुगतान/सरकार को बकाया ऋणो पर ब्याज भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।

(iv) केंद्रीय सरकारी उद्यम सरकार से बजटरी सहायता या गारंटी पर निर्भर नहीं होने चाहिए।

(v) अधिक शक्तियां प्रदान करने से पहले, सबसे पहली कार्रवाई के रूप में कम से कम 03 गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करके इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(vi) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यह निर्णय लेगा कि अधिक/शक्तियां प्रदान करने से पहले क्या लोक उद्यम श्रेणी-I/श्रेणी-II कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

2. वर्तमान में इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को प्रदान की गई निर्णय लेने की उपलब्ध शक्तियां इस प्रकार से हैं:-

(i) पूंजीगत व्यय:

(क) **श्रेणी-I केंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतु:** सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर पूंजी व्यय करने की शक्ति 500 करोड़ तक या निवल मूल्य के बराबर है, जो भी कम हो।

(ख) **श्रेणी-II: में कंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतु:** सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर पूंजी व्यय करने की शक्ति 250 करोड़ तक या निवल मूल्य के 50% के बराबर है, जो भी कम हो:

(ii) संयुक्त उद्यम और सहायक:

(क) **श्रेणी-I केन्द्रीय सरकारी उद्यम:** भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी स्थापित करना इस शर्त पर है कि केंद्रीय सरकारी उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या 500 करोड़ रुपये तक जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30% तक होनी चाहिए।

(ख) **श्रेणी-II केंद्रीय सरकारी उद्यम:** श्रेणी-I केन्द्रीय सरकारी उद्यम: भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी स्थापित इस शर्त पर है कि केंद्रीय सरकारी उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या 250 करोड़ रुपये तक जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30% तक होनी चाहिए।

(iii) विलयन और अधिग्रहण: इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्त/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ-साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(iv) मानव संसाधन विकास(एचआरडी) हेतु स्कीम: कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण या अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कीमों आदि से संबंधित स्कीमें तैयार और क्रियान्वित करना। इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास यह शक्तियां है कि वे निदेशक मण्डल से निचले स्तर के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियां केंद्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक के निर्णय अनुसार निदेशक मण्डल की उप-समिति या केंद्रीय सरकारी उद्यम के कार्यपालकों को प्रदत्त कर सकते हैं।

(v) कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरे: इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए अनुमोदित कर सकते हैं।

(vi) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन: प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम, रणनीतिक गठबंधन हेतु और प्रोद्योगिकी एवं तकनीक क्रय या कोई अन्य व्यवस्था समय-समय पर सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार होती है।

(vii) सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेश: परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटीज फ्लोट करने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु यह शर्त है कि मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां होगी और इसके अतिरिक्त यह प्रावधान है कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त शक्तियों को उसी शर्तों पर प्रदत्त किया जाएगा जो नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों पर लागू होगी।

अनुबंध -7

(पैरा 2.3.3)

मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

मिनीरत्न श्रेणी -I सीपीएसई

1. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
4. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5. बीईएमएल लिमिटेड
6. भारत संचार निगम लिमिटेड
7. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
8. केन्द्रीय भण्डारण निगम
9. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
10. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
12. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
15. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड
16. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
17. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
19. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
20. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
22. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
23. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
24. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड

25. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
26. केआईओसीएल लिमिटेड
27. मझगांव डॉक लिमिटेड
28. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
29. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
30. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
31. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
32. एमएमटीसी लिमिटेड
33. एमएसटीसी लिमिटेड
34. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
35. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
36. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
37. एनएचपीसी लिमिटेड
38. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
39. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
40. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
41. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
42. पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड
43. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
44 . रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
45 .राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
46 .राइट्स लिमिटेड
47. एसजेवीएन लिमिटेड
48. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
49. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
50. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
51. दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
52. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
53. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
54. वापकोस लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी -II सीपीएसई

55. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
56. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड
57. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
58 . केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
59. एडसिल (इंडिया) लिमिटेड
60. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
61. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
62. फेरो निगम लिमिटेड स्क्रैप
63. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
64. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
65. भारत व्यापार संवर्धन संगठन
66. इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
67. मेकॉन लिमिटेड
68. मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
69. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
70. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
71. पी ई सी लिमिटेड
72. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

अनुबंध-8

(पैरा 3.1.4)

केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत हैं

1. निदेशक मण्डल का गठन

निदेशक मण्डल के गठन के मामले में इन दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में गैर-सरकारी निदेशकों की कुल संख्या निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम 50% होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर-सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित मानदण्डों का भी निर्धारण किया है। इन मार्ग निदेशों में सम्बन्धित खण्डों का समावेश किया गया है ताकि गैर-सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा हितों के सम्भावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर-सरकारी निदेशक नहीं माना जाएगा।

यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाएँ तथा सभी सम्बन्धित जानकारी निदेशक मण्डल को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सम्बध में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का सुरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कम्पनी को निदेशक मण्डल के नए सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

2. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम-से-कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिसका

अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम-से-कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

3. सहायक कम्पनियाँ

सहायक कम्पनियों के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कम्पनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशक हों और धारक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी। सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण लेन-देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कम्पनी के निदेशक मण्डल को देना अपेक्षित है।

4. प्रकटन

प्रकटन सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन-देन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाए और यदि कोई अन्तर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, निदेशक मण्डल को जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मण्डल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई सम्भावना हो।

5. अनुपालन

दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन सम्बन्धी एक पृथक भाग हो जिसमें अनुपालन से संबंधित ब्यौरा हो। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों/कम्पनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाएगा और इसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग बनाया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और सम्बन्धित मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6. केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों का व्यावसायिकीकरण

लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों की संरचना के संबंध में नीतिगत मार्गनिर्देशों का प्रतिपादन करता है। सरकारी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीति के अनुसरण में विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को व्यावसायिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष 1992 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में बाहरी व्यावसायिकों को शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल वास्तविक सदस्य संख्या की कम-से-कम एक-तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों के मामले में गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि निदेशक मंडल में सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के छठे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिक-से-अधिक 2 होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निदेशक मंडल में कुछ कार्यकारी निदेशक भी होने चाहिए जिनकी संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. गैर-सरकारी निदेशक

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों के चयन व उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता संबंधी निम्नलिखित मानदण्ड विहित किए गए हैं:-

अनुभव संबंधी मानदण्ड

(i) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिसे संयुक्त सचिव के स्तर पर कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद से अथवा अनुसूची 'क' के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्व कार्यकारी निदेशकों को उसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा जिस उद्यम से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सेवारत मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा।

(iii) शिक्षाविद/संस्थानों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर के रुप में संबंधित क्षेत्र अर्थात प्रबंधन, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन अथवा विधि के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव

(iv) कंपनी के प्रचालन से संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक।

(v) निजी क्षेत्र की कंपनियों के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि कंपनी (i) शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो अथा (ख) अनुसूचीबद्ध परन्तु लाभार्जनकारी हो और उसका वार्षिक कारोबार कम-से-कम 250 करोड़ रुपए का हो।

(vi) उद्योग, वाणिज्यि अथवा कृषि या प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणित रिकार्ड वाले प्रख्यात व्यक्ति।

(vii) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनियों के सेवारत सीईओ और निदेशकों को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशों के रूप में नियुक्ति पर भी अपवादात्मक परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है।

शैक्षणिक योग्येता संबंधी मानदण्ड

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की उपाधि

आयु संबंधी मानदण्ड

(i) आयु की सीमा 45-65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम सीमा) होनी चाहिए।

(ii) बहरहाल, प्रसिद्ध व्यावसायिकों के मामले में इसे 70 वर्ष तक सीमिति किया जा सकता है, परन्तु इसके कारणों का लिखित उल्लेख करना होगा।

गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रारम्भ किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के मामले में गैर-सरकारी निदेशकों का चयन खोज समिति द्वारा किया जाता है जिसमें वर्तमान में अध्यक्ष (पीईएसबी), सचिव (लोक उद्यम विभाग), केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा 2 गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग खोज समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करता है।

अनुबंध -9

(पैरा 3.1.5)

वर्ष 2012-13 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ग्रेडिंग रिपोर्ट की स्थिति

क्र. सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के नाम (2011-12 के सर्वे के अनुसार)	प्रशासनिक मंत्रालय	रत्न स्थिति	श्रेणी	होल्डिंग (एच)/ सब्सि-डियरी (एस)	2012-13 स्कोर (%) केंद्रीय सर-कारी उद्यमों के लिए	2012-13 ग्रेडिंग रिपोर्ट की स्थिति
1	राष्ट्रीय बीज कारपोरेशन लि.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	मिनीरत्न	बी बी	एच	83.00	बहुत अच्छा
2	स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	अन्य	सी सी	एच	96.00	उत्कृष्ट
3	इंडियन रेअर अर्थ्स लि.	आणविक उर्जा विभाग	अन्य	बी बी	एच	86.00	उत्कृष्ट
4	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	आणविक उर्जा विभाग	अन्य	बी बी	एच	85.54	उत्कृष्ट
5	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	आणविक उर्जा विभाग	अन्य	ए	एच	82.02	बहुत अच्छा
6	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लि.	आयुष विभाग	मिनीरत्न	डी डी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
7	भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल कार्पोरेशन लि.	जैव-प्रौद्योगिकी विभ	अन्य	यूसी	एच	80.00	बहुत अच्छा
8	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउसिंल	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एच	94.00	उत्कृष्ट
9	एचएलएल बायोटेक लि..	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
10	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	अन्य	सी सी	एच	74.74	अच्छा
11	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लि.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	अन्य	डी डी	एस	75.00	बहुत अच्छा
12	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	अन्य	बी बी	एच	79.68	बहुत अच्छा
13	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	वाणिज्य विभाग	मिनीरत्न	बी बी	एच	88.80	उत्कृष्ट
14	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वाणिज्य विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	95.98	उत्कृष्ट
15	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वाणिज्य विभाग	अन्य	यूसी	एच	85.22	उत्कृष्ट
16	एसटीसीएल लि.	वाणिज्य विभाग	अन्य	सी सी	एस	56.80	संतोषजनक

17	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन	वाणिज्य विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
18	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	वाणिज्य विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
19	बीईएमएल लि..	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	92.63	उत्कृष्ट
20	भारत डायनामिक्स लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	बी बी	एच	91.30	उत्कृष्ट
21	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	बी बी	एच	91.84	उत्कृष्ट
22	गोवा शिपयार्ड लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	बी बी	एच	94.44	उत्कृष्ट
23	मझगांव डॉक लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	88.97	उत्कृष्ट
24	मिश्रा धातु निगम लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	बी बी	एच	92.42	उत्कृष्ट
25	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	नवरत्न	ए	एच	93.16	उत्कृष्ट
26	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	नवरत्न	ए	एच	91.00	उत्कृष्ट
27	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	अन्य	बी बी	एच	96.50	उत्कृष्ट
28	बीईएल आप्ट्रानिक्स डिवाइसिज लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
29	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	अन्य	यूसी	एस	20.79	असंतोषजनक
30	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन इंडिया लि.	आर्थिक मामले विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	95.00	उत्कृष्ट
31	एचएलएल लाइफकेयर लि.	परिवार कल्याण विभाग	मिनीरत्न	बी बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
32	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.	उर्वरक विभाग	मिनीरत्न	सी सी	एच	87.00	उत्कृष्ट
33	नेशनल फर्टिलाइजर लि.	उर्वरक विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	88.00	उत्कृष्ट
34	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.	उर्वरक विभाग	मिनीरत्न	बी बी	एच	90.55	उत्कृष्ट
35	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	उर्वरक विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	96.00	उत्कृष्ट
36	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	बी बी	एच	95.23	उत्कृष्ट
37	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	बी बी	एच	72.00	अच्छा
38	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	बी बी	एच	यूनिट बंद	लागू नहीं
39	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	बी बी	एच	यूनिट बंद	लागू नहीं
40	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	ए	एच	80.00	बहुत अच्छा
41	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि..	वित्तीय सेवाएं विभाग	अन्य	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक

42	सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लि.	वित्तीय सेवाएं विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
43	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	99.00	उत्कृष्ट
44	सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी लि.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	अन्य	सी	एस	95.00	उत्कृष्ट
45	फूड कारपोरेशन आफ इंडिया	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	अन्य	ए	एच	52.11	संतोषजनक
46	हिंदुस्तान वेजीटेबिल ऑयल्स कारपोरेशन लि.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	अन्य	बी	एच	अंडर लिक्यूडेशन	लागू नहीं
47	एच एस सी सी (इंडिया) लि.	स्वास्थ्य विभाग	मिनीरत्न	सी	एच	90.50	उत्कृष्ट
48	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	भारी उद्योग विभाग	महारत्न	ए	एच	92.06	उत्कृष्ट
49	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	सी	एच	95.00	उत्कृष्ट
50	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
51	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
52	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
53	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
54	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
55	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
56	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	96.00	उत्कृष्ट
57	इंस्ट्रूमेंटेशन लि..	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	51.78	संतोषजनक
58	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि..	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
59	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
60	भारत भारी उद्योग निगम लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
61	बीएचईएल इलैक्ट्रीकल मशीन्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	यूसी	एस	24.42	असंतोषजनक
62	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
63	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
64	हिंदुस्तान केबल्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
65	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
66	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
67	एचएमटी बियरिंग्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
68	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
69	एचएमटी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक

70	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
71	एचएमटी वाचेज लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
72	हुगली मुद्रण कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
73	नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
74	नेपा लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
75	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
76	सांभर साल्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
77	स्कूटर्स इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
78	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि..	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
79	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
80	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
81	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एस	75.58	बहुत अच्छा
82	जगदीशपुर पेपर मिल्स लि..	भारी उद्योग विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
83	एडसिल (इंडिया) लि.	उच्च शिक्षा विभाग	मिनीरत्न	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
84	नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेटिड	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अन्य	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
85	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	डी	एच	87.27	उत्कृष्ट
86	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि..	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	सी	एच	59.09	संतोषजनक
87	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि..	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	सी	एच	73.40	अच्छा
88	कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	सी	एच	61.96	अच्छा
89	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
90	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि..	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
91	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	डी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
92	नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	अन्य	सी	एच	60.00	अच्छा
93	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
94	कोचीन शिपयार्ड लि.	पोत परिवहन विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	100.00	उत्कृष्ट
95	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	पोत परिवहन विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	86.00	उत्कृष्ट
96	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	पोत परिवहन विभाग	नवरत्न	ए	एच	95.00	उत्कृष्ट

97	सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.	पोत परिवहन विभाग	अन्य	सी	एच	72.00	अच्छा
98	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	पोत परिवहन विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
99	अंतरिक्ष कारपोरेशन लि.	अंतरिक्ष विभाग	मिनीरत्न	यूसी	एच	71.00	बहुत अच्छा
100	भारत संचार निगम लि.	दूरसंचार विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
101	टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.	दूरसंचार विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	98.67	उत्कृष्ट
102	महानगर टेलीफोन निगम लि.	दूरसंचार विभाग	नवरत्न	ए	एच	93.00	उत्कृष्ट
103	मिलेनियम दूरसंचार लि.	दूरसंचार विभाग	अन्य	यूसी	एस	88.00	उत्कृष्ट
104	आई टी आई लि.	दूरसंचार विभाग	अन्य	ए	एच	73.00	अच्छा
105	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि.	दूरसंचार विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
106	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
107	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
108	एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
109	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
110	एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
111	पवन हंस हेलीकाप्टर लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
112	एयर इंडिया लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
113	होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	सी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
114	कोल इंडिया लि.	कोयला मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	96.50	उत्कृष्ट
115	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	92.39	उत्कृष्ट
116	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	100.00	उत्कृष्ट
117	महानदी कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	95.00	उत्कृष्ट
118	नॉर्दन कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	86.59	उत्कृष्ट
119	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	94.88	उत्कृष्ट
120	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	87.05	उत्कृष्ट
121	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	कोयला मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	97.25	उत्कृष्ट
122	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	अन्य	बी	एस	94.57	उत्कृष्ट
123	भारत कोकिंग कोल लि.	कोयला मंत्रालय	अन्य	बी	एस	82.50	बहुत अच्छा
124	एनएलसी तमिलनाडु पावर लि.	कोयला मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	93.20	उत्कृष्ट
125	महानदी बेसिन पावर लि.	कोयला मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक

126	एमजेएसजे कोल लि.	कोयला मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
127	एमएनएच शक्ति लि.	कोयला मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
128	एम एम टी सी लि.	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	91.84	उत्कृष्ट
129	पी ई सी लि.	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	82.97	बहुत अच्छा
130	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन कारपोरेशन लि.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	अन्य	सी	एच	70.93	अच्छा
131	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास कारपोरेशन लि.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
132	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, वन एवं पौध विकास कारपोरेशन लि.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	अन्य	सी	एच	यूनिट बंद	लागू नहीं
133	आवास एवं शहरी विकास निगम लि.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	95.00	उत्कृष्ट
134	हिंदुस्तान प्रीफेब लि.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	अन्य	सी	एच	84.86	बहुत अच्छा
135	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	मिनीरत्न	सी	एच	95.70	उत्कृष्ट
136	ब्रॉडकास्ट इन्जिनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	मिनीरत्न	सी	एच	71.58	अच्छा
137	राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन लि.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	97.89	उत्कृष्ट
138	हिंदुस्तान कॉपर लि.	खान मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	91.09	उत्कृष्ट
139	खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लि.	खान मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	87.00	उत्कृष्ट
140	नैशनल एल्युमीनियम कंपनी लि.	खान मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	97.55	उत्कृष्ट
141	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त कारपोरेशन	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	अन्य	सी	एच	85.51	उत्कृष्ट
142	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.	नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	अन्य	बी	एच	86.96	उत्कृष्ट
143	गेल (इंडिया) लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	94.00	उत्कृष्ट
144	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	97.00	उत्कृष्ट
145	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
146	बामर लॉरी एंड कंपनी लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	92.11	उत्कृष्ट
147	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	85.51	उत्कृष्ट
148	इंजीनियर्स इंडिया लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	93.66	उत्कृष्ट
149	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	95.70	उत्कृष्ट

150	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	94.94	उत्कृष्ट
151	ओएनजीसी विदेश लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एस	99.45	उत्कृष्ट
152	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	94.00	उत्कृष्ट
153	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	93.00	उत्कृष्ट
154	ऑयल इंडिया लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	94.79	उत्कृष्ट
155	भरत पेट्रो रिसोर्सेज लि..	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	सी	एस	93.90	उत्कृष्ट
156	प्रमाणन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	89.00	उत्कृष्ट
157	क्रेडा एचपीसीएल जैव ईंधन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	86.00	उत्कृष्ट
158	एचपीसीएल जैव ईंधन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	95.00	उत्कृष्ट
159	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	100.00	उत्कृष्ट
160	बीको लॉरी एंड कंपनी लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	सी	एच	50.50	संतोषजनक
161	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एच	76.74	बहुत अच्छा
162	गेल गैस लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	82.44	बहुत अच्छा
163	ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स एंड पॉलीमर लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	निर्माणाधीन	बी	एस	89.60	उत्कृष्ट
164	इंडियन ऑयल-क्रेडा जैव ईंधन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	72.72	अच्छा
165	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
166	एनटीपीसी लि.	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	96.41	उत्कृष्ट
167	एनएचपीसी लि..	विद्युत मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	93.81	उत्कृष्ट
168	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	विद्युत मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	89.62	उत्कृष्ट
169	एसजेवीएन लि..	विद्युत मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	91.85	उत्कृष्ट
170	टीएचडीसी लि.	विद्युत मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	95.62	उत्कृष्ट
171	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन	विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	94.73	उत्कृष्ट
172	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	95.62	उत्कृष्ट
173	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि.	विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	95.27	उत्कृष्ट
174	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एच	97.87	उत्कृष्ट

175	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	88.51	उत्कृष्ट
176	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
177	कोस्टल कर्नाटक पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
178	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
179	कोस्टल तमिलनाडु पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
180	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि..	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
181	घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
182	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
183	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
184	तातिया आंध्र मेगा पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
185	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
186	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
187	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
188	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विस लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
189	पीएफसी कंसल्टिंग लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
190	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
191	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
192	एनएचडीसी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	78.69	बहुत अच्छा
193	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक निगम लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	60.26	अच्छा
194	भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
195	एनटीपीसी हाइड्रो लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
196	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
197	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
198	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
199	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एच	80.00	बहुत अच्छा
200	कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लि	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	96.00	उत्कृष्ट
201	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लि.	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	97.00	उत्कृष्ट
202	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट

203	राइट्स लि.	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
204	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	80.00	बहुत अच्छा
205	कोंकण रेल निगम लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	ए	एच	96.80	उत्कृष्ट
206	रेल विकास निगम लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
207	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग. कंपनी लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	सी	एच	70.00	बहुत अच्छा
208	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	बी	एच	79.00	बहुत अच्छा
209	फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजिज लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	77.00	बहुत अच्छा
210	इंडियन रेलवे फाईनेंस कारपोरेशन लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	बी	एच	84.00	बहुत अच्छा
211	इरकॉन इन्फ्रास्टक्चर एंड सर्विसेज लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	77.00	बहुत अच्छा
212	मुंबई रेलवे विकास निगम लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	ए	एच	77.00	बहुत अच्छा
213	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	रेल मंत्रालय	निर्माणाधीन	ए	एच	92.00	उत्कृष्ट
214	राइट्स इन्फ्रास्टक्चर सर्विसेज लि.	रेल मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्रचालनरत नहीं	लागू नहीं
215	इंडियन वैक्सीन कार्पोरेशन लि.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	अन्य	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
216	एन्नोर पोर्ट लि..	पोत परिवहन मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	89.00	उत्कृष्ट
217	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लि.	पोत परिवहन मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
218	आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	98.95	उत्कृष्ट
219	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	95.77	उत्कृष्ट
220	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	98.00	उत्कृष्ट
221	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लि.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
222	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	78.96	बहुत अच्छा
223	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि:.	इस्पात मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	96.50	उत्कृष्ट
224	केआईओसीएल लि..	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	90.00	उत्कृष्ट
225	एम एस टी सी लि.	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	96.25	उत्कृष्ट
226	मेकॉन लि..	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	95.60	उत्कृष्ट
227	एमओआईएल लि.	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	B	H	97.89	**उत्कृष्ट**
228	फेरो स्क्रेप निगम लि.	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	C	S	68.00	**अच्छा**

229	एनएमडीसी लि.	इस्पात मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	95.00	उत्कृष्ट
230	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	सी	एस	93.00	उत्कृष्ट
231	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	92.00	उत्कृष्ट
232	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	बी	एच	100.00	उत्कृष्ट
233	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	बी	एस	98.00	उत्कृष्ट
234	सेल रिफ्रेक्टोरी कंपनी लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
235	एनएमडीसी पावर लि..	इस्पात मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
236	एनएमडीसी-सीएमडीसी लि.	इस्पात मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
237	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	सी	एच	90.00	उत्कृष्ट
238	हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	89.50	उत्कृष्ट
239	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	88.68	उत्कृष्ट
240	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	67.42	अच्छा
241	बड्र्स जूट कारपोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	यूनिट बंद	लागू नहीं
242	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
243	नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
244	कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	76.25	बहुत अच्छा
245	जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	सी	एच	79.22	बहुत अच्छा
246	इंडिया टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	75.00	बहुत अच्छा
247	डोन्यी पोलो अशोक होटल लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	52.54	संतोषजनक
248	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	57.14	संतोषजनक
249	रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	53.57	संतोषजनक
250	असम अशोक होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	63.16	अच्छा
251	कुमाराकुप्पा फ्रंटियर होटल्स लि..	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एच	यूनिट बंद	लागू नहीं
252	उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	यूनिट बंद	लागू नहीं
253	पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	38.98	असंतोषजनक
254	पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	पर्यटन मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	यूनिट बंद	लागू नहीं
255	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास	जनजातीय कार्य मंत्रालय	अन्य	सी	एच	90.25	उत्कृष्ट

	निगम						
256	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि.	शहरी विकास मंत्रालय	अन्य	ए	एच	97.83	उत्कृष्ट
257	वापकोस लि.	जल संसाधन मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	100.00	उत्कृष्ट
258	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कारपोरेशन लि.	जल संसाधन मंत्रालय	अन्य	बी	एच	87.50	उत्कृष्ट
259	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	इस्पात मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
260	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लि.		अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक

क). उक्त ग्रेडिंग केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सीधे रूप से या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजी गई कारपोरेट अभिशासन पर स्व-मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर है।

ख). लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011-12 की सूची के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या।

ग). 78 केंद्रीय सरकारी उद्यमों संबंधी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट ''प्राप्त नहीं हुई'' को ''असंतोषजनक'' ग्रेडिंग दी गई है।

अनुबंध-10

(पैरा-8.2)

केंद्रीय सरकारी उद्यमों की श्रेणी-वार सूची (मार्च, 2014 के अनुसार)

अनुसूची 'क'

1 . एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2 . एयर इंडिया लिमिटेड
3 . भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
4 . बीईएमएल लिमिटेड
5 . भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
6 . भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
7 . भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8 . भारत संचार निगम लिमिटेड
9 . केन्द्रीय भण्डारण निगम
10 . कोल इंडिया लिमिटेड
11 . कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12 . डेडिक्रेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13 . इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14 . इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
15 . फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड
16 . भारतीय खाद्य निगम
17 . गेल (इंडिया) लिमिटेड
18 . हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
19 . हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
20 . हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
21 . हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
22 . हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23 . एचएमटी लिमिटेड
24 . आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
25 . आई टी आई लिमिटेड
26 . इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

27 . इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

28 . भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

29 . कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

30 . कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड

31 . एमएमटीसी लिमिटेड

32 . महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

33 . मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

34 . मझगांव डॉक लिमिटेड

35 . मेकॉन लिमिटेड

36 . एमओआईएल लिमिटेड

37 . मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

38 . नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

39 . राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड

40 . नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

41 . एनएचपीसी लिमिटेड

42 . राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड

43 . राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

44 . एनटीपीसी लिमिटेड

45 . नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

46 . नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

47 . तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

48 . ऑयल इंडिया लिमिटेड

49 . ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

50 . पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

51 . पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

52 . राइट्स लिमिटेड

53 . रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

54 . रेल विकास निगम लिमिटेड

55 . राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

56 . राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

57 . रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

58 . सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

59 . सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

60 . शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

61 . स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

62 . स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

63 . दूरसंचार कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

64 . टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

अनसूची 'ख'

1 . एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड

2 . बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

3 . भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

4 . भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

5 . भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड

6 . भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड

7 . भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड

8 . ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स और पॉलिमर्स लिमिटेड

9 . ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड

10 . जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहयोग परिषद

11 . ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

12 . ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

13 . ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड

14 . बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

15 . सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

16 . सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

17 . सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

18 . सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

19 . चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

20 . कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

21 . कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

22 . ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

23 . ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

24 . इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

25 . एन्नोर पोर्ट लिमिटेड

26 . फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

27 . गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड

28 . गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

29 . हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड

30 . हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 . हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड

32 . एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड

33 . हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

34 . हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

35 . हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

36 . हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

37 . हिंदुस्तान वेजिटेबिल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड

38 . एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

39 . एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

40 . एचएमटी वाचेज लिमिटेड

41 . भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

42 . भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

43 . इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

44 . इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड

45 . भारतीय दुर्लभ पृथ्वी लिमिटेड

46 . भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड

47 . इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

48 . एमएसटीसी लिमिटेड .

49 . मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

50 . महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

51 . मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

52 . मिश्र धातु निगम लिमिटेड

53 . राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

54 . नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड

55 . नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

56 . राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

57 . नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

58 . नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

59 . नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

60 . उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

61 . पीईसी लिमिटेड

62 . पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड

63 . प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

64 . स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

65 . साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

66 . टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

67 . यूरेनियम कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड की

68 . वापकोस लिमिटेड

69 . वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुसूची 'ग'

1 . अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड

2 . आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड

3 . बीबीजे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

4 . बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

5 . बीएचईएल इलैक्ट्रिक मशीन्स लिमिटेड

6 . भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

7 . बीको लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

8 . बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

9 . ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

10 . सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

11 . केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड

12 . केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड

13 . प्रमाणन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड

14 . दिल्ली पुलिस आवास निगम

15 . शैक्षिक कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

16 . एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड

17 . फेरो निगम लिमिटेड स्क्रैप

18 . हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
19 . हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड
20 . हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड
21 . हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड
22 . हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड
23 . एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड
24 . एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
25 . हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
26 . एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
27 . होटल निगम कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड
28 . जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
29 . कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
30 . नगालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड
31 . राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
32 . राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
33 . राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
34 . राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
35 . भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
36 . राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
37 . राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
38 . राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
39 . नेपा लिमिटेड
40 . पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
41 . पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
42 . राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
43 . रिचर्डसन और क्रूडास (1972) लिमिटेड
44 . एसटीसीएल लिमिटेड
45 . स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
46 . त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
47 . तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

अनुसूची 'घ'

1. हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड
2. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लि.
3. उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
4. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

अन्य – अश्रेणीबद्ध

1 . एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
2 . एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
3 . एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
4 . एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड
5 . एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6 . अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
7 . असम अशोक होटल निगम लिमिटेड
8 . बीईएल आप्ट्रानिक डिवाइसेज लिमिटेड
9 . बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
10 . भारत रोग प्रतिरक्षण और बायोलॉजिकल निगम लिमिटेड
11 . भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
12 . भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
13 . भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
14 . भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेडीपीए लिमिटेड
15 . बड्र्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड
16 . छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
17 . कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
18 . कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
19 . कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
20 . कॉनकोर एयर लिमिटेड
21. क्रेडा - एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड
22 दरभंगा - मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
23 . देवघर मेगा पावर लिमिटेड
24 . डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
25 . डोन्यी पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड

26 . पूर्वी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

27 . एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

28 . फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजिज लिमिटेड

29 . गेल गैस लिमिटेड

30 . घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

31 . हाई स्पीड रेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

32 . एचएलएल बायोटेक लिमिटेड

33 . एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड

34 . हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

35 . आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड

36 . इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

37 . इंडियन रेलवे स्टेशन डवलपमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

38 . इंडियन वैक्सीन निगम लिमिटेड

39 . इंडियन ऑयल-क्रेडा बायोफ्यूल्स लिमिटेड

40 . इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड

41 . इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सिज फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड

42 . जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड

43 . झारखंड नेशनल मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

44 . जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

45 . कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड

46 . कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन

47 . कुमारकुप्पा फ्रंटियर होटल्स (प्रा.) लिमिटेड

48 . लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

49 . मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड

50 . महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

51 . मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड

52 . एमजेएसजे कोल लिमिटेड

53 . एमएनएच शक्ति लिमिटेड

54 . नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

55 . नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेटेड

56 . नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

57 . एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड

58 . एनएमडीसी – सीएमडीसी लिमिटेड

59 . एनएमडीसी पावर लिमिटेड

60 . एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड

61 . एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड

62 . एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड

63 . न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

64 . उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

65 . पतरन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

66 . पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड

67 . पावर ग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड

68 . पावर ग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

69 . पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

70 . पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड

71 . पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

72 . पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड

73 . पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

74 . प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड

75 . पुरुलिया एंड खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

76 . पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड

77 . रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड

78 . आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

79 . आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

80 . आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

81 . राइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड

82 . सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड

83 . सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

84 . सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

85 . सांभर साल्ट लिमिटेड

86 . सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड

87 . सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

88 . सिडकल कॉन्कोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड

89 . तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन

90 . तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड

91 . टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड

92 . उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड

93 . विगनयन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

अनुबंध-11

(पैरा-9.4.2)

वर्ष 2013-2014 के दौरान बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए केंद्रीय सरकारी उद्यमों का विवरण

बैठक की सं. और तारीख	विचार किये गए मामले	बीआरपीएसई की सिफारिशें
109/08.04.2013	(i) एसटीसीएल लि. (ii) एचएमटी बीयरिंग्स लि.	(i) बंद करने के लिए सिफारिश की (ii) योजना के पुनरुद्धार पर विचार किया
110/30.5.2013	(i) एचएमटी बीयरिंग्स लि. (ii) एचएमटी मशीन टूल्स लि. (iii) सीमेण्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश (ii) और (iii) की समीक्षा की गई
111/28.6.2013	(i) हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग्स कंपनी लि. (एचपीएफएल) (ii) इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा (iii) भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लि.	(i) बंद करने के लिए सिफारिश की (ii) और (iii) की समीक्षा की गई
112/19.7.2013	(i) हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (ii) आई टी आई लि.	(i) की समीक्षा की गई (ii) पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश
113/29.8.2013	(i) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. (ii) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	(i) और (ii) की समीक्षा की गई
114/17.9.2013	(i) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि. (ii) नेपा लि.	(i) और (ii) की समीक्षा की गई
115/31.10.2013	(i) सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि. (ii) हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	(i) और (ii) की समीक्षा की गई
116/20.12.2013	(i) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि. (ii) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	(i) पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश (ii) की समीक्षा की गई.
117/27.2.2014	(i) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि. (ii) हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (iii) सांभर साल्ट्स लि.	(i) पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश (ii) और (iii) की समीक्षा की गई थी।

<u>अनुबंध-12</u>

(पैरा-9.5)

उन केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनके प्रस्ताव बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित किए गए

क्र. सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम	बीआरपीएसई की अनुशंसा का व्यापक सार
	भारी उद्योग विभाग	
1.	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
2.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
4.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
5.	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड, हैदराबाद, एपी	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
6.	प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद, एपी	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
7.	नेपा लिमिटेड., नेपा नगर, एमपी	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
8.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड., मुंबई	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
9.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड., बेल्लारी, कर्नाटक	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
10.	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
11.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली	अप्रचालनरत यूनिटों को बंद करना। अन्य 3 प्रचालित यूनिटों का सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
12.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड., बंगलौर, कर्नाटक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
13.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड., रांची, झारखंड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
14.	एंड्रयू यूले एंड कंपनी. लिमिटेड., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
15.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, राजस्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
16.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
17.	एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार

18.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बंगलौर	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार-बंगलौर यूनिट को बंद कर दिया गया है और रानीबाग यूनिट को बंद करने से पहले राज्य सरकार को हस्तांतरित करना।
19.	भारत ऑप्थालमिक ग्लास लिमिटेड	बंद
20.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	बंद
21.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड	वित्तीय पुन:संरचना द्वारा पुनरुद्धार तथा बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण करना
22.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
23.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जे एंड के की राज्य सरकार को स्थानांतरित करके अथवा किसी राज्य/केंद्रीय सरकारी उद्यम/निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम को स्थानांतरित करने के द्वारा पुनरुद्धार
24.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	बंद
25.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ, यूपी	संयुक्त उद्यम द्वारा पुनरुद्धार Revival through Joint Venture
	वस्त्र मंत्रालय	
26.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर, यूपी	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
27.	नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड	15 मिलों का सरकारी उद्यम के रूप में तथा 19 मिलों का संयुक्त उद्यम के द्वारा पुनरुद्धार
28.	राष्ट्रीय जूट निगम लिमिटेड, कोलकाता विनिर्माण	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
29.	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	एल्गिन मिल सं. 2 का पुनरुद्धार
	उर्वरक विभाग	
30.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, तमिलनाडु	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
31.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि, केरल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
32.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	जहाजरानी मंत्रालय	
33.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
34.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	रक्षा मंत्रालय	

35	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	
36.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
37.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
38.	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड, हैदराबाद, एपी	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	औषधि विभाग	
39.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
40.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
41.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., गुड़गांव, हरियाणा	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
42.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई	आईडीपीएल के साथ विलय
43.	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड., मुजफ्फरपुर, बिहार	आईडीपीएल के साथ विलय
	कोयला मंत्रालय	
44.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्दवान, पश्चिम बंगाल	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
45.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	खान मंत्रालय	
46.	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड., नागपुर, महाराष्ट्र	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
47.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
48.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड., दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	जल संसाधन मंत्रालय	
49.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	इस्पात मंत्रालय	
50.	मेकॉन लिमिटेड., रांची, झारखंड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
51.	भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो, झारखंड	वित्तीय पुन:संरचना के माध्यम से पुनरुद्धार और सेल के साथ विलयन
52.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	कृषि एवं सहकारिता की विभाग	
53.	स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार

	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
54.	बीको लॉरी लिमिटेड	**बंद**
	रेल मंत्रालय	
55.	कोंकण रेल निगम लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
56.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना, बिहार	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
57.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
58.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	दो वेगन निर्माण यूनिटों को रेल विभाग को हस्तांतरित करके तथा एक रिफ्रेक्ट्री यूनिट को इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित करके पुनरुद्धार
	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
59.	हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	
60.	हिंदुस्तान वेजीटेबिल ऑयल्स निगम लिमिटेड	ब्रेकफास्ट फूड यूनिट का परिसमापन
	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	
61.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
62.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	दूरसंचार विभाग	
63.	आईटीआई लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	वाणिज्य विभाग	
64.	एसटीसीएल लिमिटेड	**बंद**

अनुबंध-13

(पैरा 9.7)

बीआरपीएसई संस्तुत प्रस्तावों के बारे में सरकार द्वारा अनुमोदित नकद तथा गैर-नकद सहायता

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सहायता (रुपये करोड़ में)		
		नकद#	गैर-नकद@	कुल
भारी उद्योग विभाग				
1	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड	4.28	73.30	77.58
2	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	60.00	42.92	102.92
3	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	--	54.61	54.61
4	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	7.40	43.97	51.37
5	प्रागा टूल्स लिमिटेड	5.00	209.71	214.71
6	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	102.00	1116.30	1218.30
7	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	184.29	1267.95	1452.24
8	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड	-	-	-
9	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-	-	-
10	भारत ऑप्थालमिक ग्लास लिमिटेड # #	9.80	--	9.80
11	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड	3.37$	153.15	156.52$
12	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	859.04	196.38	1055.42
13	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लिमिटेड	--	---	--$$
14	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	87.06	457.14	544.20
15	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	48.36	549.36	597.72$$$
16	भारत यंत्र निगम लिमिटेड # #	3.82	7.55	11.37
17	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	--	1018.45	1018.45
18	नेपा लिमिटेड	234.18	634.94	869.12
19	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	90.38	111.58	201.96
20	एचएमटी लिमिटेड	447.92	635.56	1083.48
21	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी	181.54	--	181.54

	लिमिटेड ##			
खान मंत्रालय				
22	हिंदुस्तान कॉपर लि.	--	612.94	612.94
23	मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि.	-	104.64	104.64
पोत-परिवहन मंत्रालय				
24	भारत यंत्र निगम लिमिटेड # #	73.60	280.00	353.60
25	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	148.08	628.86	776.94
रक्षा उत्पादन विभाग				
26	रक्षा उत्पादन विभाग	452.68	372.22	824.90
इस्पात मंत्रालय				
27	मेकॉन लिमिटेड	93.00*	23.08	116.08
28	भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	--	479.16	479.16
वस्त्र मंत्रालय				
29	इसकी सहायक सहित एनटीसी	39.23	-	39.23
30	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	338.04	108.93	446.97
31	राष्ट्रीय जूट निगम लिमिटेड का विनिर्माण	517.33	6815.06	7332.39
फार्मास्युटिकल्स विभाग				
32	लिमिटेड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स	137.59	267.57	405.16
33	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	207.19	233.41	440.60
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग				
34	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	250.00	110.46	360.46
35	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	-	267.29	267.29
उर्वरक विभाग				
36	उर्वरक एवं रसायन (त्रावणकोर) लिमिटेड	-	670.37	670.37
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
37	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	-	16.28	16.28
कृषि और सहकारिता विभाग				
38	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	21.21	124.42	145.63
रेल मंत्रालय				

39	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	857.05	3222.46	4079.51
40	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	49.45	258.73	308.18
41	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	4.00	280.21	284.21
42	स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड जला	75.43	1139.16	1214.59
	जन संसाधन मंत्रालय			
43	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि.	--	219.43	219.43
	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय			
44	हिंदुस्तान प्रीफेबलि.	--	128.00	128.00
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
45	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	3.00	28.40	31.40
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
46	बीको लॉरी लिमिटेड	--	59.60	59.60
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
47	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	8.50	83.06	91.56
	वाणिज्य विभाग			
48.	एसटीसीएल लिमिटेड # #	--	--	--
	दूरसंचार विभाग			
49	आईटीआई लिमिटेड	3986.00	170.79	4156.79
	कुल	**9589.82**	**23277.40**	**32867.22**
	होल्डिंग कंपनियों द्वारा कार्यान्वित			
	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग			
1	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड	12.93	57.31	70.24
	कोयला मंत्रालय			
2	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	--	2470.77	2470.77
3	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1350.00	3032.00	4382.00
	कुल	**1362.93**	**5560.08**	**6923.01**

नकद सहायता इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता हो सकती है।

@ गैर-नकद सहायता में ब्याज, दंड ब्याज, सरकारी ऋण, गारंटी शुल्क, और ऋण को इक्विटी/डिबेंचरों आदि में परिवर्तित करना शामिल है।

सरकार ने इन सीपीएसई को बंद/समाप्त करने का अनुमोदन किया है।

$ इसके अतिरिक्त ओएनजीसी और बीएचईएल नकद सहायता के रूप में क्रमश: 150 करोड़ रु. और 20 करोड़ रु. देंगे।

* वीआरएस ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी जो प्रतिवर्ष 6.50 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी की निरंतरता को समाप्त करना।

$$ मंत्रिमंडल ने बीएचईएल द्वारा बीएचपीवी के अधिग्रहण को सिद्धांत रूप में इस निर्देश के साथ स्वीकृति दे दी है कि बीएचपीवी का मूल्यांकन सुस्थापित सिद्धान्तों के आधार पर विवेक सम्मत रूप से किया जाएगा और यदि अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं पाया गया तो मामला मंत्रिमंडल को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

$$$ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये भेल से 30 करोड़ रु. ब्याज मुक्त सहायता जुटाने और विवधीकरण जिसका भुगतान भेल के आर्डरों की आपूर्ति करके किया जाएगा। भेल से आईएलके को 25 करोड़ रु. ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में प्रत्येक वर्ष 2008-09 से तीन वर्ष तक मिलते रहेंगे जिनका समायोजन उसी वर्ष भेल को आपूर्ति करके किया जाएगा।

<u>अनुबंध-14</u>

(पैरा 10.8)

सीआरआर योजना के अंतर्गत प्रचालनरत नोडल एजेंसियों की सूची

क्र. सं.	नोडल एजेंसी
1	आंध्र प्रदेश महिला उद्यम संघ (ए एल ई ए पी), हैदराबाद
2	सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर
4	इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोलकाता
5	इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डवलपमेंट (आईएलडी), जयपुर
6	के आई आई टी स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट (के एस आर एम), भुवनेश्वर

7	एम पी सी ओ एन लिमिटेड, भोपाल
8	एम आई टी सी ओ एन कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, पुणे
9	यू पी इंडस्ट्रीयल लिमिटेड, कानपुर

अनुबंध-15

(पैरा 14.2)

उन केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनकी वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (2011-12) सुसज्जित नहीं है

नागर विमानन मंत्रालय

1. एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
2. एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
3. एयर इंडिया लिमिटेड
4. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड
5. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

कोयला मंत्रालय

6. भारत कुकिंग कोल लिमिटेड
7. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
8. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
9. कोल इंडिया लिमिटेड
10. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
11. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
12. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
13. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
14. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

15. हिंदुस्तान वेजीटेबिल ऑयल्स कारपोरेशन लि.

वित्तीय सेवाएं विभाग

16. इंडिया इन्फ्रास्टक्चर फाईनेन्स कं. लि.

आयुष विभाग

17. इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लि.

भारी उद्योग विभाग

18. भेल विद्युत मशीनें लिमिटेड
19. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
20. एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड
21. एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
22. एचएमटी मशीन टूल्स
23. एचएमटी वाचेज लिमिटेड
24. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग

25. एडसिल (इंडिया) लि.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

26. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि.

विद्युत मंत्रालय

27. काउंटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड.
28. एनटीपीसी विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड.
29. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड.
30. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड.
31. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड.
32. पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन. लिमिटेड.
33. आरईसी विद्युत वितरण कं. लिमिटेड.
34. आरईसी ट्रांसमिशन परियोजना कं. लिमिटेड.

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

35. भारत इम्यूनोलॉजीकल एंड बायोलॉजिकल कारपोरेशन लि.
36. इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लि.

अंतरिक्ष विभाग

37. अंतरिक्ष कारपोरेशन लि.

अनुबंध-16

(पैरा 18.5)

लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत की गई उपलब्धियां)

(2012-13)

लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन आकलन रिपोर्ट [उपलब्धियां प्रस्तुत] (2012-2013)

							लक्ष्य / क्राइटेरिया मूल्य						कार्यनिष्पादन	
क्र. सं.	उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	भार	उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	संतोषजनक 70%	असंतोष-जनक 60%	उपलब्धियां	रॉ-स्कोर	भारांक स्कोर
1	**केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन बढ़ाना**	4	कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के उनके अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का मूल्यांकन	वर्ष 2011-12 के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की ग्रेडिंग	दिनांक	4	28/02/2013	15/03/2013	20/03/2013	25/03/2013	30/03/2013	20/02/2013	100	4
2	**सभी स्तरों पर प्रबंधन का व्यवसायीकरण**	8	गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति। विभाग द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदित पैनल भेजना	निर्धारित समय में निपटाए गए मामले	%	2	100	90	80	70	60	97	97	1.94
			गैर-सरकारी निदेशकों की भूमिका	गैर-सरकारी निदेशकों की	दिनांक	6	31/12/2012	31/01/2013	28/02/2013	15/03/2013	31/03/2013	28/12/2012	100	6

			एवं जिम्मेदारियां	भूमिका एवं जिम्मेदारियों के संबंध में अंतिम रूप दिए गए कार्य विवरण जारी करना।									
3	**केंद्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों में बोर्ड स्तर के पदों का सृजन**	2	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों का विश्लेषण एवं अनुमोदन	निर्धारित समय सीमा (60 दिन) में निपटाए गए मामले	%	2	90	80	70	60	50	100	100	2
4	**समझौता ज्ञापन प्रणाली की क्षमता में सुधार लाना**	26	केंद्रीय सरकारी उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालय के साथ बैठकें करना एवं समझौता ज्ञापन लक्ष्य को अंतिम रूप देना	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यदल की बैठकें जिनमें निर्धारित तिथि तक समझौता ज्ञापन प्रारूप को प्रस्तुत किया जाता है, के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देना	दिनांक	14	20/03/2013	22/03/2013	24/03/2013	26/03/2013	28/03/2013	20/03/2013	100	14
			समझौता ज्ञापन 2011-12 के अंतिम स्कोर तथा रेटिंग को उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) को सौंपना	समझौता ज्ञापन कार्यदल द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अंतिम स्कोर तथा ग्रेडिंग की	दिनांक	4	30/11/2012	15/12/2012	31/12/2012	15/01/2013	31/01/2013	30/11/2012	100	4

				फाइल मंत्रिमण्डल सचिव को प्रस्तुत करना										
			केंद्रीय सरकारी उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना	समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों को परिचालित करना	दिनांक	2	15/11/2012	30/11/2012	31/12/2012	31/01/2013	28/02/2013	12/11/2012	100	2
			समझौता ज्ञापन वेबसाइट को नए सिरे से बनाना	नए सिरे से बनाई गई वेबसाइट की शुरूआत करना	दिनांक	2	15/02/2013	28/02/2013	10/03/2013	20/03/2013	31/03/2013	27/12/2012	100	2
			समझौता ज्ञापन प्रणाली का बाह्य मूल्यांकन	मूल्यांकन शुरू करना	दिनांक	2	31/12/2012	31/01/2013	28/02/2013	15/03/2013	25/03/2013	10/12/2012	100	2
				रिपोर्ट की प्राप्ति और जांच	दिनांक	2	28/02/2013	15/03/2013	20/03/2013	25/03/2013	31/03/2013	28/02/2013	100	2
5	**केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक हुए कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर)**	6	वीआरएस लेने वालों को शामिल करना	शामिल किए गए वीआरएस लेने वालों की संख्या	सं.	5	8000	7500	5800	5000	4000	7506	90.12	4.51

			संबंधित एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से शामिल किया जाना और कर्मचारी सहायता केन्द्रों पर स्थापना करना जहां सीआरआर के अंतर्गत अब तक नहीं किया गया	एजेंसियों का अभिनिर्धारण और ईएसी की स्थापना	दिनांक	1	15/08/2012	30/08/2012	15/09/2012	30/09/2012	15/10/2012	14/06/2012	100	1
6	**सीएसआर नीति का कार्यान्वयन**	3	सीएसआर हब की प्रभावकारिता की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई	संशोधित मार्गनिर्देश जारी करना	दिनांक	3	31/12/2012	15/01/2013	31/01/2013	15/02/2013	28/02/2013	31/12/2012	100	3
7	**केंद्रीय सरकारी उद्यमों की कार्यप्रणाली के मुख्य विषयों पर सूचना संग्रहण और रख-रखाव**	16	लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011-12 का प्रकाशन	लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011-12 को संसद में प्रस्तुत करना	दिनांक	12	28/02/2013	31/03/2013				27/02/2013	100	12
			केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन पर सूचना एकत्र करना	वेबसाईट पर उपयोगकर्ता अनुकूलन फार्मेट में 2010-11 लोक उद्यम सर्वेक्षण डाटा को डालना	दिनांक	4	30/04/2012	15/05/2012	30/05/2012	15/06/2012	30/06/2012	26/03/2012	100	4
8	**स्थायी**	5	मध्यस्थता मामलों	31.3.2013	%	5	75	65	55	45	35	70	95	4.75

	मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटान		का निपटान	तक के मामलों का निपटान(विचाराधीन मामलों को छोड़कर)									
9	**कार्यनिष्पादन निगरानी प्रणाली आरंभ करने के लिए राज्यों को सहायता देना**	2	राज्य स्तरीय लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली अपनाने हेतु सुग्राही बनाने के लिए राज्यों को अभिनिर्धारित करना	सैद्धांतिक रूप से सहमत नए राज्यों की संख्या	सं.	2	5	4	3	2	1	7	100	2
10	**आईडीए और सीडीए पैटर्न के वेतन के लिए आवधिक महंगाई भत्ते आदेशों की समीक्षा**	3	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के आईडीए/सीडीए पैटर्न कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते आदेश जारी करना	सरकारी आदेश प्राप्त होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर आदेश जारी करना	सं.	3	6	5	4	3	2	6	100	3
11	**पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में विकास का निर्धारण**	10	सकल मार्जिन	वृद्धि देखी गई	%	2	5	4	3	2	1	5	100	2

			टर्नओवर	वृद्धि देखी गई	%	2	5	4	3	2	1	5	100	2
			मुख्य मुद्दे- आर एंड डी, सीएसआर, कारपोरेट अभिशासन और सस्टेनेबल विकास पर विश्लेषण पर टिप्पणी। लाभ अर्जित करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लाभ में वृद्धि और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के घाटे में कमी	टिप्पणी को अंतिम रूप देना	दिनांक	6	31/12/2012	31/01/2013	28/02/2013	15/03/2013	25/03/2013	28/12/2012	100	6
*	**आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण**	3	मसौदे को अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत किया गया	दिनांक	2	05/03/2012	06/03/2012	07/03/2012	08/03/2012	09/03/2012	02/03/2012	100	2
			परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुत किया गया	दिनांक	1	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012	01/05/2012	100	1
*	**प्रशासनिक सुधार**	6	भ्रष्टाचार के संभावी जोखिम को कम करने के लिए गंभीरता कम करने वाली रणनीतियों को लागू करना	शत-प्रतिशत कार्यान्वयन	%	2	100	95	90	85	80	100	100	2
			अनुमोदित कार्य	कार्य करने के	%	2	100	95	90	85	80	100	100	2

			योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को लागू करना	क्षेत्रों को कवर किया गया									
			विभागीय नवीनीकरण कार्य योजना को समय से तैयार करना	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	2	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	17/04/2013	100	2
	* मेंडेटरी आब्जेक्टिव्ज												
*	**आंतरिक क्षमता/ प्रतिक्रियाशीलता ता / मंत्रालय/ विभाग की सेवा डिलीवरी में सुधार करना**	4	सेवोत्तम' लागू करना	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2	100	90	80	70	60	89	89	1.78
				लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2	100	90	80	70	60	74.5	74.5	1.49
*	**वित्तीय दायित्व ढांचे**	2	सी एंड ए जी के लेखा परीक्षा पैरों पर	वर्ष के दौरान सी एंड ए जी	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5

	का अनुपालन सुनिश्चित		की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों का समय पर प्रस्तुतिकरण	द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तिथि के अंदर(4 महीने) प्रस्तुत की गई एटीआर का प्रतिशत									
			पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर को समय से भेजना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तिथि (6 महीने) में प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
			31.3.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत सी एंड ए जी रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरों पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5

			31.3.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5

* **अनिवार्य उद्देश्य**

कुल कंपोजिट स्कोर : 98.47